



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012026-269287
CG-DL-E-12012026-269287

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]
No. 1]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 2026/पौष 12, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 2026/PAUSAH 12, 1947

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2026

फा. सं. रा.स.वि.नि.: 2-1/2025-प्रशा०.— निगम के प्रबंध मंडल ने दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सेवा नियमावली, 1967 के नियम 7-क के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भर्ती नियमों में संशोधन किया है और उन्हें निम्न प्रकार से अंगीकृत करने का निर्णय लिया है:-

(1) उप प्रबंध निदेशक (सामान्य)

1.	पदनाम	उप प्रबंध निदेशक (सामान्य)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	<p>सीधी भर्ती/अनुबंधः सीटीसी आधारित, बाजार मानकों के अनुसार निगमेशिएबल (योग्य उम्मीदवार के लिए वेतन/पारिश्रमिक में कोई सीमा नहीं होगी और इसे पिछली या वर्तमान सीटीसी के आधार पर तय किया जा सकता है)</p> <p>प्रतिनियुक्ति :</p>

		सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-13 “क” (पूर्व संशोधित पे बैंड-4: ₹.37400-67000/- के साथ ग्रेड पे ₹.8900/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	55 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p><u>सीधी भर्ती/ अनुबंध हेतु आवश्यक:</u></p> <p>व्यवसाय प्रशासन/ प्रबंधन/ विपणन/ सहकारी प्रबंधन/ सहकारी विकास/ कृषि-व्यवसाय/ ग्रामीण विकास/ वित्त/ बैंकिंग/ मानव संसाधन या निगम के अधिदेश में सम्मिलित ऐसे अन्य क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री/ एग्जीक्यूटिव एमबीए/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)।</p> <p><u>अनुभव:</u></p> <p>सहकारिता/ वित्त/प्रशासन क्षेत्र में 20 वर्ष का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-13 या समकक्ष में होना चाहिए। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p><u>वरीयता:</u></p> <p>सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा, या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) के निश्चित कार्यकाल पर सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध द्वारा
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p><u>प्रतिनियुक्ति:</u></p> <p>भारत सरकार में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 के स्केल में निदेशक के पद का सिविल सेवक या संवर्ग में समकक्ष, जिसे केन्द्र/ राज्य सरकार में सहकारिता/ वित्त क्षेत्र/ प्रशासन में अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	<p>हाँ</p> <p>(विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)</p>
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए।	लागू नहीं

(2) उप प्रबंध निदेशक (वित्त)

1.	पदनाम	उप प्रबंध निदेशक (वित्त)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	<p>सीधी भर्ती/अनुबंध: सीटीसी आधारित, बाजार मानकों के अनुसार निगोशिएबल (योग्य उम्मीदवार के लिए वेतन/पारिश्रमिक में कोई सीमा नहीं होगी और इसे पिछली या वर्तमान सीटीसी के आधार पर तय किया जा सकता है)</p> <p>प्रतिनियुक्ति : सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-13 “क” (पूर्व संशोधित पे बैंड-4: रु.37400-67000/- के साथ ग्रेड पे रु.8900/-)</p>
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	55 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधीभर्ती/ अनुबंध हेतु आवश्यक:: चार्टर्ड अकाउंटेंट/ लागत एवं प्रबंधन लेखाकार</p> <p>अनुभव: वित्त, वसूली, लेखा, लागत निर्धारण, कराधान, जोखिम मूल्यांकन, लेखा परीक्षा, संसाधन प्रबंधन, परियोजना मूल्यांकन, वित्तपोषण, निगरानी, मूल्यांकन और संबंधित कार्यों में 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इनमें से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-13 (7वें वेतन आयोग के अनुसार) या उसके समकक्ष पद पर होना आवश्यक है। निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी (कुल वेतन पैकेज) सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों के निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. सीएफए / एफआरएम / पीआरएम / सीएस की योग्यता। ii. सहकारी बैंकिंग में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष

11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) के निश्चित कार्यकाल पर सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध द्वारा
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति: केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी संगठनों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/वित्तीय संस्थानों आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर हों या 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 या समकक्ष पदों पर 2 वर्ष की सेवा के साथ, बैंकिंग/वित्त क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र में जिम्मेदार पद पर अनुभव रखते हों।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(3) वित्तीय सलाहकार

1.	पदनाम	वित्तीय सलाहकार
2.	पद संख्या	-*
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सीधी भर्ती/अनुबंध: सीटीसी आधारित, बाजार मानकों के अनुसार निगोशिएबल (योग्य उम्मीदवार के लिए वेतन/पारिश्रमिक में कोई सीमा नहीं होगी और इसे पिछली या वर्तमान सीटीसी के आधार पर तय किया जा सकता है) प्रतिनियुक्ति: सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-13 “क” (पूर्व संशोधित पे बैंड-4: रु.37400-67000/- के साथ ग्रेड पे रु.8900/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	52 वर्ष

8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p><u>सीधी भर्ती/ अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> चार्टर्ड अकाउंटेंट/ लागत एवं प्रबंधन लेखाकार</p> <p><u>अनुभव :</u></p> <p>वित्त, वसूली, लेखा, लागत निर्धारण, कराधान, जोखिम मूल्यांकन, ऑडिट, संसाधन प्रबंधन, परियोजना मूल्यांकन, वित्तपोषण, निगरानी, मूल्यांकन तथा संबंधित कार्यों में 18 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसमें से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (7वें वेतन आयोग के अनुसार) या उसके समकक्ष पद पर होना आवश्यक है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) में कार्यरत उम्मीदवारों के निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p><u>वरीयता:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> सीएफए / एफआरएम / पीआरएम / सीएस की योग्यता। सहकारी बैंकिंग में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि — सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशता।	कार्यात्मक उन्नयन, ऐसा न होने पर 5 वर्ष की निश्चित अवधि या 60 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) पर सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध द्वारा
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p><u>कार्यात्मक उन्नयन:</u></p> <p>वित्त संवर्ग के अधिकारी जो मुख्य निदेशक के पद पर 5 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत हैं</p> <p><u>प्रतिनियुक्ति:</u></p> <p>केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जिनके पास समकक्ष पद हों या 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 या उसके समकक्ष पदों पर 2 वर्ष की सेवा हो, जिनके पास वित्त, वसूली, लेखा, लागत, कराधान, जोखिम मूल्यांकन, लेखा परीक्षा, संसाधन प्रबंधन, परियोजना मूल्यांकन, वित्तपोषण, निगरानी, मूल्यांकन और संबद्ध कार्यों में जिम्मेदार पद का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

* कार्यात्मक उन्नयन: मुख्य निदेशक के पद पर 5 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत वित्त संवर्ग के अधिकारी को डीपीसी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-13 “क” में वित्तीय सलाहकार के पद पर कार्यात्मक रूप से उन्नत किया जाएगा।

(4) कार्यकारी निदेशक (सामान्य प्रबंधन)

1.	पदनाम	कार्यकारी निदेशक (सामान्य प्रबंधन)
2.	पद संख्या	-*
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	<p>सीधी भर्ती/अनुबंध: सीटीसी आधारित, बाजार मानकों के अनुसार निगोशिएबल (योग्य उम्मीदवार के लिए वेतन/पारिश्रमिक में कोई सीमा नहीं होगी और इसे पिछली या वर्तमान सीटीसी के आधार पर तय किया जा सकता है)</p> <p>प्रतिनियुक्ति : सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-13 “क” (पूर्व संशोधित पे बैंड-4: रु.37400-67000/- के साथ ग्रेड पे रु.8900/-)</p>
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	52 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: सहकारी प्रबंधन / सहकारी विकास / कृषि-व्यवसाय / ग्रामीण विकास अथवा निगम के अधिदेश के अंतर्गत आने वाले ऐसे अन्य समकक्ष क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री/ एग्जीक्यूटिव एम.बी.ए./ स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)।</p> <p>अनुभव: 18 वर्ष का अनुभव सहकारिता / वित्त / प्रशासन के क्षेत्र में, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 अथवा समकक्ष पद पर होना आवश्यक है। निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों हेतु निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष

11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	कार्यात्मक उन्नयन, ऐसा न होने पर 5 वर्ष की निश्चित अवधि या 60 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) पर सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध द्वारा
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>कार्यात्मक उन्नयन: मुख्य निदेशक के पद पर 5 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत हो</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय / राज्य सरकार/स्वायत्त / सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पदों पर हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-13 या समकक्ष पद पर 2 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, और जिनके पास सहकारिता / वित्त / प्रशासन के क्षेत्र में जिम्मेदार पदों पर कार्य करने का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

कार्यात्मक उन्नयन: मुख्य निदेशक के पद पर 5 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत अधिकारी को डीपीसी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-13 “क” में कार्यकारी निदेशक (सामान्य प्रबंधन) के पद पर कार्यात्मक रूप से उन्नत किया जाएगा।

(5) मुख्य निदेशक (वित्त)

1.	पदनाम	मुख्य निदेशक (वित्त)
2.	पद संख्या	2
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-13 (पूर्व संशोधित पे बैंड-4: रु.37400-67000/- के साथ ग्रेड पे रु.8700/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	50 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: चार्टर्ड अकाउंटेंट/ लागत एवं प्रबंधन लेखाकार</p> <p>अनुभव :</p>

		<p>वित्त, लेखा, लागत गणना, वसूली, कराधान, जोखिम मूल्यांकन, लेखापरीक्षा, संसाधन प्रबंधन, परियोजना मूल्यांकन, वित्त पोषण, निगरानी, मूल्यांकन और संबंधित कार्यों के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है।</p> <p>वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों हेतु निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता योग्यता :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. सीएफए/ एफआरएम/ पीआरएम/ सीएस की योग्यता ii. सहकारी बैंकिंग में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	<p>i. 1 पद (50%) — सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध के माध्यम से</p> <p>ii. 1 पद (50%) — सीमित विभागीय परीक्षा (एलडीई) के माध्यम से पदोन्नति</p>
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा):</p> <p>वित्त संवर्ग के अधिकारी जो निदेशक के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केंद्रीय / राज्य सरकार/स्वायत्त / सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, और जिनके पास वित्त, लेखा, लागत गणना, वसूली, कराधान, जोखिम मूल्यांकन, लेखा परीक्षा, संसाधन प्रबंधन, परियोजना मूल्यांकन, वित्त पोषण, निगरानी, मूल्यांकन और संबंधित कार्यों में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	<p>हाँ</p> <p>(विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)</p>
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(6) मुख्य निदेशक (सामान्य प्रबंधन)

1.	पदनाम	मुख्य निदेशक (सामान्य प्रबंधन)
2.	पद संख्या	5

3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-13 (पूर्व संशोधित पे बैंड-4: रु.37400-67000/- के साथ ग्रेड पे रु.8700/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	50 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p><u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u></p> <p>सहकारी प्रबंधन / सहकारी विकास / कृषि-व्यवसाय / ग्रामीण विकास या निगम के अधिदेश के अंतर्गत आने वाले ऐसे अन्य समकक्ष क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री / एजीक्यूटिव एम.बी.ए. / स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)</p> <p><u>अनुभव:</u></p> <p>संबंधित क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव, इसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों हेतु निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p><u>वरीयता:</u></p> <p>सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	<p>i. 2 पद (40%) — सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के माध्यम से</p> <p>ii. 3 पद (60%) — सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति</p>
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p><u>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा):</u></p> <p>निदेशक के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।</p> <p><u>प्रतिनियुक्ति:</u></p> <p>केंद्रीय / राज्य सरकार/ स्वायत्त / सांविधिक निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, सहकारी संगठन, वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>

13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(7) मुख्य निदेशक (सहकारी विकास)

1.	पदनाम	मुख्य निदेशक (सहकारी विकास)
2.	पद संख्या	4
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-13 (पूर्व संशोधित पे बैंड-4: रु.37400-67000/- के साथ ग्रेड पे रु.8700/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	50 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> सहकारी प्रबंधन / सहकारी विकास या निगम के अधिदेश के अंतर्गत आने वाले ऐसे क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री/ एग्जीक्यूटिव एम.बी.ए./ स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि) <u>अनुभव:</u> सबंधित क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों हेतु निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। <u>वरीयता:</u> सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि — सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	i. 2 पद (50%) — सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति / अनुबंध के माध्यम से ii. 2 पद (50%) — सीमित विभागीय परीक्षा (एलडीई) के माध्यम से पदोन्नति

12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): निदेशक के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय / राज्य सरकार/ स्वायत्त/ सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(8) मुख्य निदेशक (विपणन प्रबंधन)

1.	पदनाम	मुख्य निदेशक (विपणन प्रबंधन)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-13 (पूर्व संशोधित पे बैंड-4: रु.37400-67000/- के साथ ग्रेड पे रु. 8700/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	50 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: विपणन में स्नातकोत्तर डिग्री/ एग्जीक्यूटिव एम.बी.ए./ स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों हेतु निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>

9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति/अनुबंध
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय / राज्य सरकार/स्वायत्त / सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(9) मुख्य निदेशक (प्रशिक्षण)

1.	पदनाम	मुख्य निदेशक (प्रशिक्षण)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-13 (पूर्व संशोधित पे बैंड-4: रु.37400-67000/- के साथ ग्रेड पे रु.8700/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	50 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु: सहकारी प्रबंधन / सहकारी विकास / ग्रामीण विकास / कृषि-व्यवसाय / मानव संसाधन या निगम के अधिदेश के अंतर्गत आने वाले ऐसे अन्य क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री/ एग्जीक्यूटिव एम.बी.ए./ स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि) अनुभव:

		<p>सहकारी क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 10 वर्ष का अनुभव सहकारिता / प्रशासन / मानव संसाधन विकास में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के डिज़ाइन और/या संचालन में होना चाहिए। इसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है।</p> <p>वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों हेतु निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p><u>वरीयता :</u></p> <p>सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नत द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p><u>प्रतिनियुक्ति:</u></p> <p>केंद्रीय / राज्य सरकार/ स्वायत्त / सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	<p>हां</p> <p>(विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)</p>
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(10) मुख्य निदेशक (चीनी)

1.	पदनाम	मुख्य निदेशक (चीनी)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-13 (पूर्व संशोधित पे बैंड-4: रु.37400-67000/- के साथ ग्रेड पे रु.8700/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं

7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	50 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p><u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> चीनी इंजीनियरिंग / चीनी प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा</p> <p><u>अनुभव:</u> संबंधित क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों हेतु निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p><u>वरीयता:</u> सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति/अनुबंध
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p><u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय / राज्य सरकार/स्वायत्त / सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हों, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	<p>हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)</p>
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(11) मुख्य निदेशक (मत्स्यपालन/ डेयरी/ कुकुटपालन/ पशुधन)

1.	पदनाम	मुख्य निदेशक (मत्स्यपालन/ डेयरी/ कुकुटपालन/ पशुधन)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-13 (पूर्व संशोधित पे बैंड-4: रु.37400-67000/- के साथ ग्रेड पे रु.8700/-)

5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	50 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p><u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> मत्स्यपालन विज्ञान / डेयरी विज्ञान या डेयरी प्रौद्योगिकी/ पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन में स्नातक की डिग्री</p> <p><u>अनुभव:</u> संबंधित क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों हेतु निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p><u>वरीयता :</u> सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p><u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय / राज्य सरकार/ स्वायत्त / सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	<p>हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)</p>
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(12) मुख्य निदेशक (वस्त्र/भण्डारण/शीत श्रृंखला/प्रसंस्करण)

1.	पदनाम	मुख्य निदेशक (वस्त्र/भण्डारण/शीत श्रृंखला/प्रसंस्करण)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-13 (पूर्व संशोधित पे बैंड-4: रु.37400-67000/- के साथ ग्रेड पे रु.8700/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	50 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: वस्त्र इंजीनियरिंग / वस्त्र प्रौद्योगिकी / सिविल इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग / कृषि प्रसंस्करण / खाद्य प्रसंस्करण / खाद्य प्रौद्योगिकी/ रेफ्रिजरेशन प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों हेतु निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता : सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति/अनुबंध
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय / राज्य सरकार/स्वायत्त / सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>

13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(13) मुख्य निदेशक (विधिक तथा वसूली)

1.	पदनाम	मुख्य निदेशक (विधिक तथा वसूली)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-13 (पूर्व संशोधित पे बैंड-4: रु.37400-67000/- के साथ ग्रेड पे रु.8700/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	50 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p><u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> एलएलबी की डिग्री धारक और बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित</p> <p><u>अनुभव:</u> कानूनी/ वित्तीय दस्तावेजीकरण/बंधक/गारंटी/हाइपोथिकेशन/वसूली के मुकदमे/दावे/सरफेसी अधिनियम/ऋण वसूली न्यायाधिकरण आदि, तथा विभिन्न न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों में ऐसे विषयों से संबंधित मुकदमेबाजी के मामलों में 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों हेतु निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p><u>वरीयता :</u> सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष

11.	भर्ती की विधि — सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय / राज्य सरकार/स्वायत्त / सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, और जिनके पास कानूनी / वित्तीय दस्तावेज़ीकरण/ बंधक/ गारंटी/ गिरवी/ वसूली के मुकदमे/दावे/ सरफेसी अधिनियम, ऋण वसूली न्यायाधिकरण आदि, तथा विभिन्न न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों में ऐसे विषयों से संबंधित मुकदमेबाजी के मामलों में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(14) मुख्य निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन/मानव संसाधन विकास / सतर्कता)

1.	पदनाम	मुख्य निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन/ मानव संसाधन विकास / सतर्कता)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-13 (पूर्व संशोधित पे बैंड-4: रु.37400-67000/- के साथ ग्रेड पे रु.8700/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	50 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: मानव संसाधन में स्नातकोत्तर डिग्री / एम्जीक्यूटिव एम.बी.ए./ स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि) अनुभव: संबंधित क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका

		सीटीसी सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों हेतु निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। <u>वरीयता :</u> सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय / राज्य सरकार/स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(15) मुख्य निदेशक (सामान्य प्रशासन -सिविल/ इलेक्ट्रिकल तथा स्टोर एवं खरीद)

1.	पदनाम	मुख्य निदेशक (सामान्य प्रशासन – सिविल / इलेक्ट्रिकल तथा स्टोर एवं खरीद)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-13 (पूर्व संशोधित पे बैंड-4: रु.37400-67000/- के साथ ग्रेड पे रु.8700/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	50 वर्ष

8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: सिविल इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग / सामग्री प्रबंधन/ लॉजिस्टिक्स प्रबंधन या समकक्ष विषय में स्नातक की डिग्री</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों हेतु निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय / राज्य सरकार/स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(16) मुख्य निदेशक (एमआईएस)

1.	पदनाम	मुख्य निदेशक (एमआईएस)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-13 (पूर्व संशोधित पे बैंड-4: रु.37400-67000/- के साथ ग्रेड पे रु.8700/-)

5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	50 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p><u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी में बी.टेक. या एम.सी.ए. <u>अनुभव:</u> सुरक्षा/ एनालिटिक्स/ डेटाबेस प्रशासन/ सॉफ्टवेयर विकास/ नेटवर्किंग / सर्वर प्रबंधन/ डेटाबेस विश्लेषण आदि क्षेत्रों में 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर होना <u>अनिवार्य है।</u> वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों हेतु निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। <u>वरीयता:</u> सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p><u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय/ राज्य सरकार/स्वायत्त/ सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, और जिनके पास सुरक्षा/ एनालिटिक्स/ डेटाबेस प्रशासन/ सॉफ्टवेयर विकास/ नेटवर्किंग/ सर्वर प्रबंधन/ डेटाबेस विश्लेषण आदि क्षेत्रों में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(17) मुख्य निदेशक (कॉर्पोरेट संचार/ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता)

1.	पदनाम	मुख्य निदेशक (कॉर्पोरेट संचार/ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-13 (पूर्व संशोधित पे बैंड-4: रु.37400-67000/- के साथ ग्रेड पे रु.8700/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	50 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p><u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय/ व्यवसाय प्रशासन/ जनसंपर्क/ मीडिया प्रवंधन/ जनसंचार / पत्रकारिता/ मास मल्टीमीडिया एवं कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर डिग्री / एग्जीक्यूटिव एमबीए / स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)</p> <p><u>अनुभव:</u> संबंधित क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों हेतु निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p><u>वरीयता :</u> सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p><u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय / राज्य सरकार/स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>

13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(18) निदेशक (वित्त)

1.	पदनाम	निदेशक (वित्त)
2.	पद संख्या	-*
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-12 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600-39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 7,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	45 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> चार्टर्ड अकाउंटेंट / लागत एवं प्रबंधन लेखाकार <u>अनुभव:</u> वित्त/लेखा/ लागत निर्धारण/ कराधान/ जोखिम मूल्यांकन/ लेखापरीक्षा/ संसाधन प्रबंधन/ परियोजना मूल्यांकन/ वित्त पोषण/ निगरानी/ मूल्यांकन और संबंधित कार्यों में 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों हेतु निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। <u>वरीयता योग्यता:</u> i. सीएफए / एफआरएम / पीआरएम / सीएस ii. सहकारी बैंकिंग में अनुभव को वरीयता दी जाएगी
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	कार्यात्मक उन्नयन; अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।

12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>कार्यात्मक उन्नयन: वित्त कैडर के अधिकारी, जो उप निदेशक के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय / राज्य सरकार/ स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, और जिनके पास वित्त/ लेखा/ लागत निर्धारण/ कराधान/ जोखिम मूल्यांकन/ लेखा परीक्षा/ संसाधन प्रबंधन/ परियोजना मूल्यांकन/ वित्त पोषण/ निगरानी/ मूल्यांकन और संबंधित क्षेत्रों में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

कार्यात्मक उन्नयन: उप निदेशक के पद पर 5 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत वित्त संवर्ग के अधिकारी को डीपीसी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-12 में निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यात्मक रूप से उन्नत किया जाएगा।

(19) निदेशक (सामान्य प्रबंधन)

1.	पदनाम	निदेशक (सामान्य प्रबंधन)
2.	पद संख्या	-*
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-12 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 7,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	45 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: सहकारी प्रबंधन/ सहकारी विकास / कृषि व्यवसाय / ग्रामीण विकास या निगम के अधिदेश के अंतर्गत आने वाले अन्य संबंधित क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री / एग्जिक्यूटिव एम.बी.ए. / स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 या समकक्ष पद पर होना आवश्यक है।</p>

		वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी उन उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए, जो सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत हैं। वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	कार्यात्मक उन्नयन; अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	कार्यात्मक उन्नयन: उप निदेशक के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय / राज्य सरकार/स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

***कार्यात्मक उन्नयन:** उप निदेशक के पद पर 5 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत अधिकारी को डीपीसी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-12 में निदेशक (सामान्य प्रबंधन) के पद पर कार्यात्मक रूप से उन्नत किया जाएगा।

(20) निदेशक (सहकारी विकास)

1.	पदनाम	निदेशक (सहकारी विकास)
2.	पद संख्या	-*
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-12 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 7,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं

7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	45 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: सहकारी प्रबंधन/सहकारी विकास या निगम के अधिदेश के अंतर्गत आने वाले अन्य संबंधित क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री/एजीक्यूटिव एम.बी.ए./ स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 या समकक्ष पद पर होना आवश्यक है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी उन उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए, जो सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत हैं।</p> <p>वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	कार्यात्मक उन्नयन; अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>कार्यात्मक उन्नयन: उप निदेशक के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय / राज्य सरकार/स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

कार्यात्मक उन्नयन: उप निदेशक के पद पर 5 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत अधिकारी को डीपीसी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-12 में निदेशक (सहकारी विकास) के पद पर कार्यात्मक रूप से उन्नत किया जाएगा।

(21) निदेशक (विपणन प्रबंधन)

1.	पदनाम	निदेशक (विपणन प्रबंधन)
2.	पद संख्या	-*

3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-12 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600-39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 7,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	45 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> विषयन में स्नातकोत्तर डिग्री / एग्जिक्यूटिव एम.बी.ए. / स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि) <u>अनुभव:</u> संबंधित क्षेत्र में 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 या समकक्ष पद पर होना आवश्यक है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी उन उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए, जो सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत हैं। <u>वरीयता:</u> सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	यदि कार्यात्मक उन्नयन संभव न हो, तो सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति / अनुबंध के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>कार्यात्मक उन्नयन:</u> उप निदेशक (विषयन प्रबंधन) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय / राज्य सरकार/स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)

14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं
-----	---	-----------

***कार्यात्मक उन्नयन:** उप निदेशक (विषयन प्रबंधन) के पद पर 5 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत अधिकारी को डीपीसी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-12 में निदेशक (विषयन प्रबंधन) के पद पर कार्यात्मक रूप से उन्नत किया जाएगा।

(22) निदेशक (प्रशिक्षण)

1.	पदनाम	निदेशक (प्रशिक्षण)
2.	पद संख्या	-*
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-12 (पूर्व संबंधित पे बैंड-3: रु. 15,600-39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 7,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	45 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: सहकारी प्रबंधन / सहकारी विकास / ग्रामीण विकास / कृषि व्यवसाय / मानव संसाधन या निगम के अधिदेश के अंतर्गत आने वाले अन्य संबंधित क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री / एग्जिक्यूटिव एम.बी.ए. / स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)</p> <p>अनुभव: सहकारी क्षेत्र में 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 8 वर्ष का अनुभव प्रशिक्षण कार्यक्रमों के डिजाइनिंग और/या संचालन अथवा सहकारिता/ प्रशासन या मानव संसाधन विकास में होना चाहिए। साथ ही, न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों हेतु निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	कार्यात्मक उन्नयन; अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।

12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>कार्यात्मक उन्नयन: उप निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय / राज्य सरकार/स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो तथा जिनके पास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के डिजाइनिंग और/या संचालन अथवा सहकारिता/ प्रशासन या मानव संसाधन विकास में कार्यकारी स्तर वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

***कार्यात्मक उन्नयन:** उप निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर 5 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत अधिकारी को डीपीसी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-12 में निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर कार्यात्मक रूप से उन्नत किया जाएगा।

(23) निदेशक (चीनी)

1.	पदनाम	निदेशक (चीनी)
2.	पद संख्या	-*
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-12 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600-39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 7,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	45 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: चीनी इंजीनियरिंग / चीनी प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है।</p>

		वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों हेतु निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	कार्यात्मक उन्नयन; अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	कार्यात्मक उन्नयन: उप निदेशक (चीनी) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय / राज्य सरकार/स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, तथा जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी स्तर वाले पदों का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

* **कार्यात्मक उन्नयन:** उप निदेशक (चीनी) के पद पर 5 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत अधिकारी को डीपीसी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-12 में निदेशक (चीनी) के पद पर कार्यात्मक रूप से उन्नत किया जाएगा।

(24) निदेशक (मत्स्यपालन)

1.	पदनाम	निदेशक (मत्स्यपालन)
2.	पद संख्या	-*
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-12 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600-39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 7,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन

6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	45 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p><u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> मत्स्यपालन विज्ञान में स्नातक डिग्री</p> <p><u>अनुभव:</u> संबंधित क्षेत्र में 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों हेतु निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p><u>वरीयता:</u> सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि — सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	कार्यात्मक उन्नयन; अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p><u>कार्यात्मक उन्नयन:</u> उप निदेशक (मत्स्यपालन) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p> <p><u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय / राज्य सरकार/स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, तथा जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी स्तर वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	<p>हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती हैं)</p>
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

***कार्यात्मक उन्नयन:** उप निदेशक (मत्स्यपालन) के पद पर 5 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत अधिकारी को डीपीसी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-12 में निदेशक (मत्स्यपालन) के पद पर कार्यात्मक रूप से उन्नत किया जाएगा।

(25) निदेशक (डेयरी/ कुक्कुटपालन/ पशुधन)

1.	पदनाम	निदेशक (डेयरी /कुक्कुटपालन / पशुधन)
2.	पद संख्या	-*
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-12 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 7,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	45 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: डेयरी विज्ञान या डेयरी प्रौद्योगिकी / पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्रातक डिग्री अनुभव: संबंधित क्षेत्र में 12 वर्षों का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	कार्यात्मक उन्नयन; अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	कार्यात्मक उन्नयन: उप निदेशक (डेयरी / कुक्कुटपालन / पशुधन) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय / राज्य सरकार/ स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत

		अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, तथा जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी स्तर वाले पदों का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

* कार्यात्मक उन्नयन: उप निदेशक (डेयरी / कुकुटपालन/ पशुधन) के पद पर 5 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत अधिकारी को डीपीसी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-12 में निदेशक (डेयरी / कुकुटपालन / पशुधन) के पद पर कार्यात्मक रूप से उन्नत किया जाएगा।

(26) निदेशक (वस्त्र)

1.	पदनाम	निदेशक (वस्त्र)
2.	पद संख्या	-*
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-12 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600-39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 7,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	45 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: वस्त्र इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में स्नातक डिग्री अनुभव: संबंधित क्षेत्र में 12 वर्षों का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष

11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	कार्यात्मक उन्नयन; अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	कार्यात्मक उन्नयन: उप निदेशक (वस्त्र) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय / राज्य सरकार/ स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, तथा जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी स्तर वाले पदों का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

*कार्यात्मक उन्नयन: उप निदेशक (वस्त्र) के पद पर 5 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत अधिकारी को डीपीसी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-12 में निदेशक (वस्त्र) के पद पर कार्यात्मक रूप से उन्नत किया जाएगा।

(27) निदेशक (भण्डारण/ शीत श्रृंखला तथा प्रसंस्करण)

1.	पदनाम	निदेशक (भण्डारण/शीत श्रृंखला तथा प्रसंस्करण)
2.	पद संख्या	-*
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-12 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600-39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 7,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	45 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: सिविल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/ एग्रो-प्रोसेसिंग/ फूड प्रोसेसिंग/ फूड टेक्नोलॉजी या रिफ्रिजरेशन में स्नातक डिग्री अनुभव: संबंधित क्षेत्र में 12 वर्षों का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में

		कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। <u>वरीयता:</u> सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	कार्यात्मक उन्नयन; अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>कार्यात्मक उन्नयन:</u> उप निदेशक (भंडारण/शीत श्रृंखला तथा प्रसंस्करण) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय / राज्य सरकार/स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, तथा जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी स्तर वाले पदों का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

***कार्यात्मक उन्नयन:** उप निदेशक (भंडारण/शीत श्रृंखला तथा प्रसंस्करण) के पद पर 5 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत अधिकारी को डीपीसी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-12 में निदेशक (भंडारण/शीत श्रृंखला तथा प्रसंस्करण) के पद पर कार्यात्मक रूप से उन्नत किया जाएगा।

(28) निदेशक (विधिक)

1.	पदनाम	निदेशक (विधिक)
2.	पद संख्या	-*
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-12 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600-39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 7,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं

7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	45 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: एलएलबी की डिग्री और बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित</p> <p>अनुभव: कानूनी/वित्तीय दस्तावेजीकरण, बंधक, गारंटी, हाइपोथिकेशन आदि और विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में मुकदमेबाजी से संबंधित मामलों में 12 वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम 5 वर्षों का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-11 या समकक्ष में होना चाहिए। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए सीटीसी का स्तर सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	कार्यात्मक उन्नयन; अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>कार्यात्मक उन्नयन: उप निदेशक (विधिक) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, और जिनके पास कानूनी/वित्तीय दस्तावेजीकरण, बंधक, गारंटी, हाइपोथिकेशन आदि और विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में मुकदमेबाजी से संबंधित कार्यकारी पदों पर अनुभव प्राप्त हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

कार्यात्मक उन्नयन: उप निदेशक (विधिक) के पद पर 5 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत अधिकारी को डीपीसी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-12 में निदेशक (विधिक) के पद पर कार्यात्मक रूप से उन्नत किया जाएगा।

(29) निदेशक (वसूली)

1.	पदनाम	निदेशक (वसूली)
2.	पद संख्या	-*
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-12 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600-39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 7,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	45 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: एलएलबी की डिग्री और बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित अनुभव: वसूली संबंधी मुकदमें/दावे, सरफेसी अधिनियम, क्रृष्ण वसूली न्यायाधिकरण (डी.आर.टी.) इत्यादि से संबंधित विषयों तथा इनसे जुड़े न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में मुकदमेबाजी से संबंधित कार्यों में कम से कम 12 वर्ष का अनुभव। उक्त में से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-11 या उसके समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका कुल सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	कार्यात्मक उन्नयन; अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।

12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>कार्यात्मक उन्नयन: उप निदेशक (वसूली) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p> <p>प्रतिनियुक्ति केंद्रीय/राज्य सरकारों/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/ सहकारी संगठनों अथवा वित्तीय संस्थानों आदि में कार्यरत ऐसे अधिकारी, जो या तो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों अथवा जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-11 या उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, तथा जिन्हें वसूली संबंधी मुकदमें/दावे, सरफेसी अधिनियम, क्रृष्ण वसूली न्यायाधिकरण इत्यादि से संबंधित कार्यों एवं इन विषयों पर विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में मुकदमेबाजी से संबंधित मामलों में कार्यकारी क्षमता वाले पदों में अनुभव प्राप्त हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

* **कार्यात्मक उन्नयन:** उप निदेशक (वसूली) के पद पर 5 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत अधिकारी को डीपीसी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-12 में निदेशक (वसूली) के पद पर कार्यात्मक रूप से उन्नत किया जाएगा।

(30) निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन/ मानव संसाधन विकास/ सतर्कता)

1.	पदनाम	निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन/ मानव संसाधन विकास/ सतर्कता)
2.	पद संख्या	-*
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-12 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 7,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	45 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: मानव संसाधन में स्नातकोत्तर डिग्री/एग्जीक्यूटिव एम.बी.ए./ स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)।</p> <p>अनुभव:</p>

		<p>संबंधित क्षेत्र में कम से कम 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-11 या उसके समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका कुल सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	कार्यात्मक उन्नयन; अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>कार्यात्मक उन्नयन: उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन/मानव संसाधन विकास/सतर्कता) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकारों/ स्वायत्त/ सांविधिक निकायों/ सार्वजनिक उपक्रमों/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/ सहकारी संगठनों अथवा वित्तीय संस्थानों आदि में कार्यरत ऐसे अधिकारी, जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-11 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, तथा जिन्हें संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी स्तर वाले पदों पर अनुभव प्राप्त हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

* **कार्यात्मक उन्नयन:** उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन/मानव संसाधन विकास/सतर्कता) के पद पर 5 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत अधिकारी को डीपीसी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-12 में निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन/मानव संसाधन विकास/सतर्कता) के पद पर कार्यात्मक रूप से उन्नत किया जाएगा।

(31) निदेशक (सामान्य प्रशासन – सिविल, इलेक्ट्रिकल तथा स्टोर एवं खरीद)

1.	पदनाम	निदेशक (सामान्य प्रशासन – सिविल, इलेक्ट्रिकल तथा स्टोर एवं खरीद)
2.	पद संख्या	-*
3.	वर्गीकरण	“क”

4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-12 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600-39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 7,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	45 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: सिविल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/ सामग्री प्रबंधन या लॉजिस्टिक्स प्रबंधन या समकक्ष विषय में स्नातक डिग्री ।</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में कुल 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-11 या उसके समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका कुल सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	कार्यात्मक उन्नयन; अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>कार्यात्मक उन्नयन: उप निदेशक (सामान्य प्रशासन – सिविल/ इलेक्ट्रिकल तथा स्टोर एवं खरीद) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकारों/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/ सहकारी संगठनों अथवा वित्तीय संस्थानों आदि में कार्यरत ऐसे अधिकारी, जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-11 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, तथा जिन्हें संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी स्तर वाले पदों पर अनुभव प्राप्त हो।</p>

13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

* कार्यात्मक उन्नयन: उप निदेशक (सामान्य प्रशासन – सिविल/इलेक्ट्रिकल तथा स्टोर एवं खरीद) के पद पर 5 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत अधिकारी को डीपीसी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-12 में निदेशक (सामान्य प्रशासन – सिविल/इलेक्ट्रिकल तथा स्टोर एवं खरीद) के पद पर कार्यात्मक रूप से उन्नत किया जाएगा।

(32) निदेशक (एमआईएस)

1.	पदनाम	निदेशक (एमआईएस)
2.	पद संख्या	-*
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-12 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 7,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	45 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में बी.टेक. या एम.सी.ए. <u>अनुभव:</u> सुरक्षा/ विश्लेषण/ डेटाबेस प्रशासन/ सॉफ्टवेयर विकास/ नेटवर्किंग/ सर्वर प्रबंधन/ डेटाबेस विश्लेषण आदि क्षेत्रों में कुल 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-11 या उसके समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका कुल सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। <u>वरीयता:</u> सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष

11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	कार्यात्मक उन्नयन; अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	कार्यात्मक उन्नयन: उप निदेशक (एमआईएस) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकारों/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/ सहकारी संगठनों अथवा वित्तीय संस्थानों आदि में कार्यरत ऐसे अधिकारी, जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-11 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, तथा जिन्हें सुरक्षा/ विश्वेषण/ डेटाबेस प्रशासन/ सॉफ्टवेयर विकास/ नेटवर्किंग/ सर्वर प्रबंधन/ डेटाबेस विश्वेषण आदि क्षेत्रों में कार्यकारी स्तर वाले पदों पर अनुभव प्राप्त हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

***कार्यात्मक उन्नयन:** उप निदेशक (एमआईएस) के पद पर 5 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत अधिकारी को डीपीसी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर 7वें सीधीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-12 में निदेशक (एमआईएस) के पद पर कार्यात्मक रूप से उन्नत किया जाएगा।

(33) निदेशक (कॉर्पोरेट संचार / अंतरराष्ट्रीय सहकारिता)

1.	पदनाम	निदेशक (कॉर्पोरेट संचार / अंतरराष्ट्रीय सहकारिता)
2.	पद संख्या	-*
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-12 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 7,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	45 वर्ष

8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय/व्यवसाय प्रशासन/ जनसंपर्क/ सीडिया प्रबंधन/ जनसंचार/ पत्रकारिता/ मास मल्टीमीडिया एवं कम्यूनिकेशन में स्नातकोत्तर डिग्री/एग्जीक्यूटिव एम.बी.ए./ स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)।</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में कुल 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-11 या उसके समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका कुल सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	कार्यात्मक उन्नयन; अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>कार्यात्मक उन्नयन: उप निदेशक (कॉर्पोरेट संचार/ अंतरराष्ट्रीय सहकारिता) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकारों/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/ सार्वजनिक उपक्रमों/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/ सहकारी संगठनों अथवा वित्तीय संस्थानों आदि में कार्यरत ऐसे अधिकारी/ जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-11 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, तथा जिन्हें संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी स्तर वाले पदों पर अनुभव प्राप्त हो</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

***कार्यात्मक उन्नयन:** उप निदेशक (कॉर्पोरेट संचार / अंतरराष्ट्रीय सहकारिता) के पद पर 5 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत अधिकारी को डीपीसी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-12 में निदेशक (कॉर्पोरेट संचार / अंतरराष्ट्रीय सहकारिता) के पद पर कार्यात्मक रूप से उन्नत किया जाएगा।

(34) उप निदेशक (वित्त)

1.	पदनाम	उप निदेशक (वित्त)
2.	पद संख्या	10
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-11 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 6,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	40 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: चार्टर्ड एकाउंटेंट या लागत एवं प्रबंधन लेखाकार अनुभव: वित्त, लेखा/लागत निर्धारण/ कराधान/ जोखिम मूल्यांकन/ लेखा परीक्षा/ संसाधन प्रबंधन/ परियोजना मूल्यांकन/ वित्तपोषण/ निगरानी/ मूल्यांकन और संबंधित कार्यों में कुल 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 या उसके समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका कुल सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। वरीयता: i. सीएफए, एफआरएम, पीआरएम या सीएस ii. सहकारी बैंकिंग में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	i. 7 पद (70%) - सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति / अनुबंध / कैम्पस प्लेसमेंट के माध्यम से, भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार। ii. 3 पद (30%) - सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): वित्त संवर्ग के अधिकारी, जो सहायक निदेशक के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों। प्रतिनियुक्ति:

		केंद्रीय/राज्य सरकारों/ स्वायत्त/ सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक उपक्रमों/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/ सहकारी संगठनों अथवा वित्तीय संस्थानों आदि में कार्यरत ऐसे अधिकारी, जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, तथा जिन्हें वित्त/ लेखा/ लागत निर्धारण/ कराधान/ जोखिम मूल्यांकन/ लेखा परीक्षा/ संसाधन प्रबंधन/ परियोजना मूल्यांकन/ वित्तपोषण/ निगरानी/ मूल्यांकन और जिन्हें संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी स्तर वाले पदों पर अनुभव प्राप्त हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(35) उप निदेशक (सामान्य प्रबंधन)

1.	पदनाम	उप निदेशक (सामान्य प्रबंधन)
2.	पद संख्या	26
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-11 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 6,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	40 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: सहकारी प्रबंधन/सहकारी विकास/ कृषि व्यवसाय/ ग्रामीण विकास या निगम के अधिदेश के अंतर्गत आने वाले अन्य संबंधित क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री / एग्जीक्यूटिव एम.बी.ए. / स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)। अनुभव: संबंधित क्षेत्र में कुल 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 या उसके समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी

9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	i. 18 पद (70%) – सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति / अनुबंध / कैम्पस प्लेसमेंट के माध्यम से, भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार। ii. 8 पद (30%) – सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा) सहायक निदेशक के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय/राज्य सरकारों/स्वायत्त/ सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक उपक्रमों/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/ सहकारी संगठनों अथवा वित्तीय संस्थानों आदि में कार्यरत ऐसे अधिकारी, जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, तथा जिन्हें संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी स्तर वाले पदों पर अनुभव प्राप्त हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(36) उप निदेशक (सहकारी विकास)

1.	पदनाम	उप निदेशक (सहकारी विकास)
2.	पद संख्या	26
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-11 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 6,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	40 वर्ष

8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: सहकारी प्रबंधन/सहकारी विकास या निगम के अधिदेश के अंतर्गत आने वाले अन्य संबंधित क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री / एग्जीक्यूटिव एम.बी.ए. / स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)।</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में कुल 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 या उसके समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	<p>i. 18 पद (70%) – सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति / अनुबंध/ कैम्पस प्लेसमेंट के माध्यम से, भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।</p> <p>ii. 8 पद (30%) – सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।</p>
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा) सहायक निदेशक के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	<p>हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)</p>
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(37) उप निदेशक (विपणन प्रबंधन)

1.	पदनाम	उप निदेशक (विपणन प्रबंधन)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-11 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 6,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	40 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> विपणन में स्नातकोत्तर डिग्री/ एग्जीक्यूटिव एम.बी.ए./ स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)। <u>अनुभव:</u> संबंधित क्षेत्र में कुल 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 या उसके समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। <u>वरीयता:</u> सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि — सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध/ कैम्पस प्लेसमेंट, भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा)</u> सहायक निदेशक (विपणन प्रबंधन) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय/राज्य सरकारों/स्वायत्त/ सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक उपक्रमों/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/ सहकारी संगठनों अथवा वित्तीय संस्थानों आदि में कार्यरत ऐसे अधिकारी, जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की

		नियमित सेवा की हो, तथा जिन्हें संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी क्षमता वाले पदों में अनुभव प्राप्त हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(38) उप निदेशक (प्रशिक्षण)

1.	पदनाम	उप निदेशक (प्रशिक्षण)
2.	पद संख्या	2
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-11 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 6,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	40 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> सहकारी प्रबंधन/ सहकारी विकास/ ग्रामीण विकास/ कृषि व्यवसाय/ मानव संसाधन या निगम के अधिदेश के अंतर्गत आने वाले स्नातकोत्तर डिग्री / एग्जीक्यूटिव एम.बी.ए. / स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)। <u>अनुभव:</u> सहकारी क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 6 वर्ष का अनुभव प्रशिक्षण कार्यक्रमों के डिजाइनिंग और/या संचालन अथवा सहकारिता/ प्रशासन या मानव संसाधन विकास में होना चाहिए। साथ ही, न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों हेतु निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। <u>वरीयता:</u> सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध/ कैम्पस प्लेसमेंट, भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।

12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा) सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय / राज्य सरकार/स्वायत्त / सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो तथा जिनके पास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के डिजाइनिंग और/या संचालन अथवा सहकारिता/ प्रशासन या मानव संसाधन विकास में कार्यकारी स्तर वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है।
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(39) उप निदेशक (चीनी)

1.	पदनाम	उप निदेशक (चीनी)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-11 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 6,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	40 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: चीनी इंजीनियरिंग/ चीनी टेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा।</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में कुल 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 या उसके समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता:</p>

		सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/ कैम्पस प्लेसमेंट, भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा) सहायक निदेशक (चीनी) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/ सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर 10 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो तथा संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(40) उप निदेशक (मत्स्यपालन)

1.	पदनाम	उप निदेशक (मत्स्यपालन)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-11 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 6,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	40 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: मत्स्यपालन विज्ञान में स्नातक की डिग्री। अनुभव: संबंधित क्षेत्र में कुल 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स

		के वेतन स्तर-10 या उसके समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।
		वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति /अनुबंध / कैम्पस प्लेसमेंट, भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा) सहायक निदेशक (मत्स्यपालन) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर 10 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो तथा संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(41) उप निदेशक (डेयरी, कुक्कुटपालन एवं पशुधन)

1.	पदनाम	उप निदेशक (डेयरी, कुक्कुटपालन एवं पशुधन)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”

4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-11 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 6,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	40 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: डेयरी विज्ञान या डेयरी प्रौद्योगिकी / पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक डिग्री।</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में कुल 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 या उसके समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति /अनुबंध / कैम्पस प्लेसमेंट, भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा) सहायक निदेशक (डेयरी, कुकुटपालन एवं पशुधन) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर 10 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो तथा संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>

13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती हैं)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(42) उप निदेशक (वस्त्र)

1.	पदनाम	उप निदेशक (वस्त्र)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-11 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600—39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 6,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	40 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> वस्त्र इंजीनियरिंग/ टेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री। <u>अनुभव:</u> संबंधित क्षेत्र में कुल 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 या उसके समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। <u>वरीयता:</u> सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति /अनुबंध / कैम्पस प्लेसमेंट, भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।

12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा) सहायक निदेशक (वस्त्र) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर 10 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो तथा संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(43) उप निदेशक (भंडारण/शीत श्रृंखला एवं प्रसंस्करण)

1.	पदनाम	उप निदेशक (भंडारण/ शीत श्रृंखला एवं प्रसंस्करण)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-11 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 6,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	40 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: सिविल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/कृषि-प्रसंस्करण/ खाद्य प्रसंस्करण/ खाद्य प्रौद्योगिकी/ रेफ्रिजरेशन में स्नातक की डिग्री।</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में कुल 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 या उसके समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>

9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति /अनुबंध / कैम्पस प्लेसमेंट, भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा) सहायक निदेशक (भंडारण/ शीत शृंखला एवं प्रसंस्करण) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर 10 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो तथा संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(44) उप निदेशक (विधिक)

1.	पदनाम	उप निदेशक (विधिक)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-11 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 6,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	40 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: एलएलबी की डिग्री और बार काउंसिल में वकील के रूप में नामांकित अनुभव: कानूनी/वित्तीय दस्तावेजीकरण, बंधक, गारंटी, हाइपोथिकेशन आदि और विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में मुकदमेबाजी से संबंधित मामलों में 10

	<p>वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम 5 वर्षों का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 या समकक्ष में होना चाहिए। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए सीटीसी का स्तर सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>	
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति /अनुबंध / कैम्पस प्लेसमेंट, भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा) सहायक निदेशक (विधिक) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, और जिनके पास कानूनी/वित्तीय दस्तावेजीकरण, बंधक, गारंटी, हाइपोथेकेशन आदि और विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में मुकदमेबाजी से संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी पदों पर अनुभव प्राप्त हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(45) उप निदेशक (वसूली)

1.	पदनाम	उप निदेशक (वसूली)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-11 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 6,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन

6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	40 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: एलएलबी की डिग्री और बार काउंसिल में वकील के रूप में नामांकित</p> <p>अनुभव: वसूली संबंधी मुकदमे/दावे, सरफेसी अधिनियम, ऋण वसूली न्यायाधिकरण आदि और संबंधित विषयों तथा इनसे जुड़े न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में मुकदमेवाजी से संबंधित कार्यों में कुल 10 वर्ष का अनुभव। उक्त में से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 या उसके समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति /अनुबंध / कैम्पस प्लेसमेंट, भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा) सहायक निदेशक (वसूली) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकारों/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/ सहकारी संगठनों अथवा वित्तीय संस्थानों आदि में कार्यरत ऐसे अधिकारी, जो या तो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों अथवा जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 या उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, तथा जिन्हें वसूली संबंधी मुकदमे/दावे, सरफेसी अधिनियम, ऋण वसूली न्यायाधिकरण इत्यादि से संबंधित कार्यों एवं इन विषयों पर विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में मुकदमेवाजी से संबंधित मामलों में कार्यकारी क्षमता वाले पदों में अनुभव प्राप्त हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	<p>हां</p> <p>(विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)</p>

14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं
-----	---	-----------

(46) उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन / मानव संसाधन विकास / सतर्कता)

1.	पदनाम	उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन/ मानव संसाधन विकास/ सतर्कता)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-11 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 6,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	40 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: मानव संसाधन में स्नातकोत्तर डिग्री / एम्जीक्यूटिव एम.बी.ए./ स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में कुल 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 या उसके समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति /अनुबंध / कैम्पस प्लेसमेंट, भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा) सहायक निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन/ मानव संसाधन विकास/ सतर्कता) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी</p>

		संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर 10 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो तथा संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(47) उप निदेशक (सामान्य प्रशासन – सिविल, इलेक्ट्रिकल तथा स्टोर एवं खरीद)

1.	पदनाम	उप निदेशक (सामान्य प्रशासन – सिविल, इलेक्ट्रिकल तथा स्टोर एवं खरीद)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-11 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 6,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	40 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> सिविल इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग / सामग्री प्रबंधन / लॉजिस्टिक्स प्रबंधन या समकक्ष विषय में स्नातक की डिग्री। <u>अनुभव:</u> संबंधित क्षेत्र में कुल 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 या उसके समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। <u>वरीयता:</u> सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष

11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति /अनुबंध / कैम्पस प्लेसमेंट, भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा) सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन – सिविल/ इलेक्ट्रिकल तथा स्टोर एवं खरीद) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर 10 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव हो तथा संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(48) उप निदेशक (एमआईएस)

1.	पदनाम	उप निदेशक (एमआईएस)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-11 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 6,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	40 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में बी.टेक. या एम.सी.ए. अनुभव: सुरक्षा/एनालिटिक्स/ डेटाबेस प्रशासन/ सॉफ्टवेयर विकास/ नेटवर्किंग/ सर्वर प्रबंधन/ डेटाबेस विक्षेपण आदि क्षेत्रों में 10 वर्षों का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 या उसके समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका कुल

		<p>सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p><u>वरीयता:</u></p> <p>सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति /अनुबंध / कैम्पस प्लेसमेंट, भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा)</p> <p>सहायक निदेशक (एमआईएस) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p> <p><u>प्रतिनियुक्ति:</u></p> <p>केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत ऐसे अधिकारी, जो या तो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों अथवा जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 या उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, तथा जिन्हें सुरक्षा/विश्लेषण/डेटाबेस प्रशासन/सॉफ्टवेयर विकास/ नेटवर्किंग/ सर्वर प्रबंधन/ डेटाबेस विश्लेषण आदि क्षेत्रों में कार्यकारी क्षमता वाले पदों पर अनुभव प्राप्त हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	<p>हां</p> <p>(विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)</p>
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(49) उप निदेशक (कॉर्पोरेट संचार/ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता)

1.	पदनाम	उप निदेशक (कॉर्पोरेट संचार / अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-11 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 6,600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं

7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	40 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय/जनसंपर्क/ मीडिया प्रवंधन/ जन संचार/ पत्रकारिता/ मास मल्टीमीडिया एवं संचार में स्नातकोत्तर डिग्री / एग्जीक्यूटीव एम.बी.ए. / स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में कुल 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 या उसके समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए, उनका सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति /अनुबंध / कैम्पस प्लेसमेंट, भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा) सहायक निदेशक (कॉर्पोरेट संचार/ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/ सार्वजनिक उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर 10 या समकक्ष पद पर 5 वर्ष की सेवा रखते हों तथा संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(50) सहायक निदेशक (वित्त)

1.	पदनाम	सहायक निदेशक (वित्त)
2.	पद संख्या	10

3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 5,400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	38 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> चार्टर्ड अकाउंटेंट / लागत एवं प्रबंधन लेखाकार <u>अनुभव:</u> वित्त/लेखा/ लागत/ कराधान/ जोखिम मूल्यांकन/ लेखापरीक्षा/ संसाधन प्रबंधन/ परियोजना मूल्यांकन/ वित्त पोषण/ निगरानी/ मूल्यांकन और संबंधित कार्यों में 5 वर्षों का अनुभव, सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 या इससे उच्च पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए उनका सीटीसी उस वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए जो सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित है। <u>वरीयता:</u> i. सीएफए / एफआरएम / पीआरएम / सीएस ii. सहकारी बैंकिंग में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्यक्रमों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	i. 7 (70%) – सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति ii. 3 (30%) – पद सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध/ कैपस प्लेसमेंट के माध्यम से भरे जाएंगे, भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा):</u> वित्त कैडर के अधिकारी, जो प्रोग्राम अधिकारी (वित्त) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत ऐसे अधिकारी, जो या तो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों अथवा जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, तथा जिनके पास वित्त/ लेखा/ लागत निर्धारण/ कराधान/ जोखिम मूल्यांकन/ लेखापरीक्षा/ संसाधन प्रबंधन/ परियोजना मूल्यांकन/ वित्तपोषण/ निगरानी/ मूल्यांकन

		और संबंधित क्षेत्रों में पर्यवेक्षी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(51) सहायक निदेशक (सामान्य प्रबंधन)

1.	पदनाम	सहायक निदेशक (सामान्य प्रबंधन)
2.	पद संख्या	31
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/-के साथ ग्रेड पे रु. 5,400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	38 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: सहकारी प्रबंधन/सहकारी विकास/कृषि व्यवसाय/ग्रामीण विकास या निगम के अधिदेश के अंतर्गत आने वाले अन्य संबंधित क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री/एंजीकूटिव एम.बी.ए./स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि) अनुभव: संबंधित क्षेत्र में कुल 5 वर्षों का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या इसके समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष

11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	i. 23 (75%) सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ii. 8 (25%) पद सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध/ कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भरे जाएंगे, भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा):</u> प्रोग्राम अधिकारी, के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 या समकक्ष पद में 5 वर्ष की सेवा रखते हों, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(52) सहायक निदेशक (सहकारी विकास)

1.	पदनाम	सहायक निदेशक (सहकारी विकास)
2.	पद संख्या	31
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 5,400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	38 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> सहकारी प्रबंधन/सहकारी विकास या निगम के अधिदेश के अंतर्गत आने वाले अन्य संबंधित क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री/एजीक्यूटिव एम.बी.ए./स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि) <u>अनुभव:</u> संबंधित क्षेत्र में कुल 5 वर्षों का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या इससे उच्च पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि

		में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	i. 23 (75%) पद सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। ii. 8 (25%) पद सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध/ कैप्स प्लेसमेंट के माध्यम से भरे जाएंगे, भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): प्रोग्राम अधिकारी के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 या समकक्ष पद में 5 वर्ष की सेवा रखते हों, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(53) सहायक निदेशक (विपणन प्रबंधन)

1.	पदनाम	सहायक निदेशक (विपणन प्रबंधन)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 5,400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	38 वर्ष

8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: विपणन में 2-वर्षीय अवधि का स्नातकोत्तर डिग्री/एंजीक्यूटिव एम.बी.ए./ स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में कुल 5 वर्षों का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या इससे उच्च पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्यिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): प्रोग्राम अधिकारी (विपणन प्रबंधन) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 या समकक्ष पद में 5 वर्ष की सेवा रखते हों, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(54) सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)

1.	पदनाम	सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)
2.	पद संख्या	2
3.	वर्गीकरण	“क”

4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 5,400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	38 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: सहकारी प्रबंधन/सहकारी विकास/ग्रामीण विकास/कृषि व्यवसाय/मानव संसाधन या निगम के अधिदेश के अंतर्गत आने वाले अन्य संबंधित क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री/एग्जीक्यूटिव एम.बी.ए./स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)</p> <p>अनुभव: प्रशिक्षण कार्यक्रमों के डिजाइन और/या संचालन या सहकारिता/प्रशासन/मानव संसाधन विकास संबंधित क्षेत्र में कुल 5 वर्षों का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या इससे उच्च पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): प्रोग्राम अधिकारी (प्रशिक्षण) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत ऐसे अधिकारी, जो या तो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों अथवा जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, तथा जिनके पास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के डिजाइन और/या संचालन में या सहकारिता/प्रशासन/मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों में पर्यवेक्षी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो</p>

13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(55) सहायक निदेशक (चीनी)

1.	पदनाम	सहायक निदेशक (चीनी)
2.	पद संख्या	2
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/-के साथ ग्रेड पे रु. 5,400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	38 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> चीनी इंजीनियरिंग/चीनी प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा <u>अनुभव:</u> संबंधित क्षेत्र में कुल 5 वर्षों का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या इससे उच्च पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। <u>वरीयता:</u> सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।

12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): प्रोग्राम अधिकारी (चीनी) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 या समकक्ष पद में 5 वर्ष की सेवा रखते हों, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(56) सहायक निदेशक (मत्स्यपालन)

1.	पदनाम	सहायक निदेशक (मत्स्यपालन)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 5,400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	38 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: मत्स्य विज्ञान में स्नातक की डिग्री</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में कुल 5 वर्षों का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या इससे उच्च पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता:</p>

		सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा):</u> प्रोग्राम अधिकारी (मत्स्यपालन) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 या समकक्ष पद में 5 वर्ष की सेवा रखते हों, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(57) सहायक निदेशक (डेयरी)

1.	पदनाम	सहायक निदेशक (डेयरी)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/-के साथ ग्रेड पे रु. 5,400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	38 वर्ष

8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: डेयरी विज्ञान/डेयरी प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में कुल 5 वर्षों का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या इससे उच्च पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): प्रोग्राम अधिकारी (डेयरी) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 या समकक्ष पद में 5 वर्ष की सेवा रखते हों, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(58) सहायक निदेशक (कुक्कुटपालन एवं पशुधन)

1.	पदनाम	सहायक निदेशक (कुक्कुटपालन एवं पशुधन)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”

4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/-के साथ ग्रेड पे रु. 5,400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	38 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक की डिग्री</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में कुल 5 वर्षों का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या इससे उच्च पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): प्रोग्राम अधिकारी (कुक्कुटपालन एवं पशुधन) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 या समकक्ष पद में 5 वर्ष की सेवा रखते हों, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)

14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं
-----	---	-----------

(59) सहायक निदेशक (वस्त्र)

1.	पदनाम	सहायक निदेशक (वस्त्र)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 5,400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	38 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> वस्त्र इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री <u>अनुभव:</u> संबंधित क्षेत्र में कुल 5 वर्षों का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या इससे उच्च पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। <u>वरीयता:</u> सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।

12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): प्रोग्राम अधिकारी (वस्त्र) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 या समकक्ष पद में 5 वर्ष की सेवा रखते हों, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(60) सहायक निदेशक (भंडारण/शीत शृंखला)

1.	पदनाम	सहायक निदेशक (भंडारण/शीत शृंखला)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/-के साथ ग्रेड पे रु. 5,400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	38 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: सिविल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में कुल 5 वर्षों का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या इससे उच्च पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।</p>

9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा):</u> प्रोग्राम अधिकारी (भंडारण/शीत श्रृंखला) के पद पर 5 वर्ष की सेवा चुके हो। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 या समकक्ष पद में 5 वर्ष की सेवा रखते हों, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(61) सहायक निदेशक (प्रसंस्करण)

1.	पदनाम	सहायक निदेशक (प्रसंस्करण)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 5,400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	38 वर्ष

8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: कृषि प्रसंस्करण/खाद्य प्रसंस्करण/खाद्य प्रौद्योगिकी/रेफ्रिजरेशन में स्नातक की डिग्री</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में कुल 5 वर्षों का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या इससे उच्च पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): प्रोग्राम अधिकारी (प्रसंस्करण) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 या समकक्ष पद में 5 वर्ष की सेवा रखते हों, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(62) सहायक निदेशक (विधिक)

1.	पदनाम	सहायक निदेशक (विधिक)
2.	पद संख्या	2
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-10

		(पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 5,400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	38 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p><u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> एल.एल.बी. डिग्रीधारक तथा बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित।</p> <p><u>अनुभव:</u></p> <p>विधिक/वित्तीय दस्तावेजीकरण/ बंधक/ गारंटी/ हाइपोथिकेशन आदि से संबंधित कार्यों तथा विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में मुकदमेबाजी संबंधी मामलों में 5 वर्षों का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या इससे उच्च पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए सीटीसी का स्तर सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p><u>वरीयता:</u></p> <p>सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p><u>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा):</u> प्रोग्राम अधिकारी (विधिक) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो।</p> <p><u>प्रतिनियुक्ति:</u></p> <p>केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत ऐसे अधिकारी, जो या तो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों अथवा जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, तथा जिनके पास विधिक/वित्तीय दस्तावेजीकरण, बंधक, गारंटी, हाइपोथिकेशन आदि तथा विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में मुकदमेबाजी संबंधित क्षेत्रों में पर्यवेक्षी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो</p>

13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(63) सहायक निदेशक (वसूली)

1.	पदनाम	सहायक निदेशक (वसूली)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 5,400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	38 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> एल.एल.बी. डिग्रीधारक तथा बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित। <u>अनुभव:</u> वसूली के मुकदमे/दावे, सरफेसी अधिनियम, कृष्ण वसूली प्राधिकरण आदि से संबंधित कार्यों तथा इन विषयों में विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में मुकदमेवाजी संबंधी मामलों में 5 वर्षों का अनुभव 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या इससे उच्च पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए सीटीसी का स्तर सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। <u>वरीयता:</u> सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।

12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): प्रोग्राम अधिकारी (वसूली) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत ऐसे अधिकारी, जो या तो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों अथवा जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, तथा जिनके पास वसूली के मुकदमे/दावे, सरफेसी अधिनियम, क्रृष्ण वसूली प्राधिकरण आदि तथा इन विषयों में विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में मुकदमेबाजी संबंधित क्षेत्रों में पर्यवेक्षी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(64) सहायक निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन/ मानव संसाधन विकास/सतर्कता

1.	पदनाम	सहायक निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन/ मानव संसाधन विकास/सतर्कता)
2.	पद संख्या	2
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	वे मैट्रिक्स के अंतर्गत ये लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 5,400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	38 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: मानव संसाधन में स्नातकोत्तर डिग्री/एग्जीक्यूटिव एम.बी.ए./स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में कुल 5 वर्षों का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या इससे उच्च पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि</p>

		में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): प्रोग्राम अधिकारी (कार्मिक एवं प्रशासन/ मानव संसाधन विकास/सतर्कता) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 या समकक्ष पद में 5 वर्ष की सेवा रखते हों, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(65) सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन—सिविल)

1.	पदनाम	सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन—सिविल)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600—39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 5,400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं

7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	38 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री <u>अनुभव:</u> संबंधित क्षेत्र में कुल 5 वर्षों का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या इससे उच्च पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। <u>वरीयता:</u> सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा):</u> प्रोग्राम अधिकारी (सामान्य प्रशासन—सिविल) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 या समकक्ष पद में 5 वर्ष की सेवा रखते हों, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(66) सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन-इलेक्ट्रिकल)

1.	पदनाम	सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन-इलेक्ट्रिकल)
2.	पद संख्या	1

3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 5,400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	अधिकतम 38 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री <u>अनुभव:</u> संबंधित क्षेत्र में कुल 5 वर्षों का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या इससे उच्च पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। <u>वरीयता:</u> सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा):</u> प्रोग्राम अधिकारी (सामान्य प्रशासन-इलेक्ट्रिकल) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 या समकक्ष पद में 5 वर्ष की सेवा रखते हों, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।

13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(67) सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन – स्टोर एवं खरीद)

1.	पदनाम	सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन – स्टोर एवं खरीद)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 5,400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	38 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> सामग्री प्रबंधन/लॉजिस्टिक्स प्रबंधन या समकक्ष विषय में स्नातक की डिग्री <u>अनुभव:</u> संबंधित क्षेत्र में कुल 5 वर्षों का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या इससे उच्च पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। <u>वरीयता:</u> सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।

12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): प्रोग्राम अधिकारी (सामान्य प्रशासन – स्टोर एवं खरीद) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 या समकक्ष पद में 5 वर्ष की सेवा रखते हों, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(68) सहायक निदेशक (एमआईएस)

1.	पदनाम	सहायक निदेशक (एमआईएस)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 5,400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	अधिकतम 38 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में बी.टेक. या एम.सी.ए.</p> <p>अनुभव: सुरक्षा/ विश्लेषण/ डेटाबेस प्रशासन/ एप्लीकेशन विकास/ नेटवर्किंग/ सर्वर प्रबंधन/ डेटाबेस विश्लेषण आदि से संबंधित क्षेत्रों में 5 वर्षों का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या इससे उच्च पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p>

		वरीयता: सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): प्रोग्राम अधिकारी (एमआईएस) के पद पर 5 वर्ष की सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत ऐसे अधिकारी, जो या तो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों अथवा जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, तथा जिनके पास सुरक्षा/विश्वेषण/डेटाबेस प्रशासन/एप्लीकेशन विकास/नेटवर्किंग/सर्वर प्रबंधन/डेटाबेस विश्वेषण आदि संबंधित क्षेत्रों में पर्यवेक्षी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(69) सहायक निदेशक (कॉर्पोरेट संचार/ अंतरराष्ट्रीय सहकारिता)

1.	पदनाम	सहायक निदेशक (कॉर्पोरेट संचार/ अंतरराष्ट्रीय सहकारिता)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600–39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 5,400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन

6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	38 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती/अनुबंध के लिए आवश्यक:</p> <p>अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय/व्यवसाय प्रशासन/जनसंपर्क/मीडिया प्रबंधन/जनसंचार/पत्रकारिता/जनसंचार मल्टीमीडिया एवं संचार में स्नातकोत्तर डिग्री/एग्जीक्यूटिव एम.बी.ए./स्नातकोत्तर डिप्लोमा (दो वर्ष की अवधि)</p> <p>अनुभव</p> <p>संबंधित क्षेत्र में कुल 5 वर्षों का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या इससे उच्च पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p> <p>वरीयता:</p> <p>सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा):</p> <p>प्रोग्राम अधिकारी (एमआईएस) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 या समकक्ष पद में 5 वर्ष की सेवा रखते हों, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(70) सहायक निदेशक (राजभाषा)

1.	पदनाम	सहायक निदेशक (राजभाषा)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600-39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 5,400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	38 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती/अनुबंध के लिए आवश्यक:</u> डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री। <u>अनुभव</u> हिंदी में शब्दावली कार्य और अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य में कुल 5 वर्षों का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या इससे उच्च पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा):</u> प्रोग्राम अधिकारी (राजभाषा) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के

		अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 या समकक्ष पद में 5 वर्ष की सेवा रखते हों, और जिनके पास, हिंदी में शब्दावली कार्य और अंग्रेजी से हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य से संबंधित क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(71) सहायक निदेशक (पुस्तकालय)

1.	पदनाम	सहायक निदेशक (पुस्तकालय)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“क”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3: रु. 15,600—39,100/- के साथ ग्रेड पे रु. 5,400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	38 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती/ अनुबंध के लिए आवश्यक:</u> पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री <u>अनुभव</u> संबंधित क्षेत्र में कुल 5 वर्षों का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 या इससे उच्च पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए। <u>वरीयता:</u> सहकारी संगठन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।

12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): प्रोग्राम अधिकारी (पुस्तकालय) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 या समकक्ष पद में 5 वर्ष की सेवा रखते हों, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता वाले पदों का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	<p>हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)</p>
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(72) प्रोग्राम अधिकारी (वित्त)

1.	पदनाम	प्रोग्राम अधिकारी (वित्त)
2.	पद संख्या	20
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु.4600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती/ अनुबंध हेतु आवश्यक: चार्टर्ड अकाउंटेंट/ लागत एवं प्रबंधन लेखाकार</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से- भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।

12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/वित्तीय संस्थानों आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, तथा जिन्हें वित्त/लेखा/लागत निर्धारण/कराधान/जोखिम मूल्यांकन/लेखापरीक्षा/संसाधन प्रबंधन/परियोजना मूल्यांकन/वित्तपोषण/निगरानी/मूल्यांकन और संबंधित क्षेत्रों का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(73) प्रोग्राम अधिकारी (सामान्य प्रबंधन)

1.	पदनाम	प्रोग्राम अधिकारी (सामान्य प्रबंधन)
2.	पद संख्या	31
3.	वर्गीकरण	“च”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु.4600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती/ अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> सहकारी प्रबंधन / सहकारी विकास / कृषि व्यवसाय / ग्रामीण विकास अथवा या निगम के अधिकारी के अंतर्गत आने वाले अन्य क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री / एग्जीक्यूटिव एम.बी.ए. / स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)। <u>अनुभव:</u> संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव, वेतन मैट्रिक्स के 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।

9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	i. 23 पद (75%) - सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। ii. 8 पद (25%) - सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति / अनुबंध / कैपस प्लेसमेंट के माध्यम से - भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): कार्यकारी सहायक के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 या समकक्ष पद पर संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष की सेवा का अनुभव रखते हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(74) प्रोग्राम अधिकारी (सहकारी विकास)

1.	पदनाम	प्रोग्राम अधिकारी (सहकारी विकास)
2.	पद संख्या	31
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु.4600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती/ अनुबंध हेतु आवश्यक: सहकारी प्रबंधन / सहकारी विकास अथवा निगम के कार्यक्षेत्र से संबंधित अन्य क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री / एग्जीक्यूटिव एम.बी.ए. / स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)। अनुभव:

		संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव, वेतन मैट्रिक्स के 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमात्र के तुलनीय होना चाहिए।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	i. 24 पद (78%) - सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। ii. 7 पद (22%) - सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति / अनुबंध / कैपस प्लेसमेंट के माध्यम से - भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा):</u> कार्यकारी सहायक के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 या समकक्ष पद पर संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष की सेवा का अनुभव रखते हों।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(75) प्रोग्राम अधिकारी (विपणन प्रबंधन)

1.	पदनाम	प्रोग्राम अधिकारी (विपणन प्रबंधन)
2.	पद संख्या	6
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष

8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: विपणन में स्नातकोत्तर डिग्री/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि) अनुभव: संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव, वेतन मैट्रिक्स के 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): कार्यकारी सहायक (विपणन प्रबंधन) के पद पर 5 वर्ष की सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 या समकक्ष पद पर संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष की सेवा का अनुभव रखते हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(76) प्रोग्राम अधिकारी (प्रशिक्षण)

1.	पदनाम	प्रोग्राम अधिकारी (प्रशिक्षण)
2.	पद संख्या	3
3.	वर्गीकरण	“ख”

4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु.4600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: सहकारी प्रबंधन / सहकारी विकास/कृषि व्यवसाय/ग्रामीण विकास/कृषि व्यापार/मानव संसाधन अथवा निगम के कार्यक्षेत्र से संबंधित अन्य क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री / एग्जीक्यूटिव एम.बी.ए. / स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)। अनुभव: प्रशिक्षण कार्यक्रमों के डिजाइन और/या संचालन में या सहकारिता/प्रशासन/मानव संसाधन विकास में 2 वर्ष का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): कार्यकारी सहायक (प्रशिक्षण) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/वित्तीय संस्थानों आदि में कार्यरत अधिकारी, जो समकक्ष पदों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के डिजाइन और/या संचालन या सहयोग/प्रशासन/मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों के पदों में अनुभव रखते हो या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा संबंधित क्षेत्रों में की हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ

		(विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(77) प्रोग्राम अधिकारी (चीनी)

1.	पदनाम	प्रोग्राम अधिकारी (चीनी)
2.	पद संख्या	3
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु.4600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: चीनी इंजीनियरिंग/चीनी प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि) अनुभव: संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव, वेतन मैट्रिक्स के 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): कार्यकारी सहायक (चीनी) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 या समकक्ष पद पर संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष की सेवा का अनुभव रखते हो।

13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(78) प्रोग्राम अधिकारी (मत्स्यपालन)

1.	पदनाम	प्रोग्राम अधिकारी (मत्स्यपालन)
2.	पद संख्या	2
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- ग्रेड पे रु.4600/- के साथ)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> मत्स्यपालन विज्ञान में स्नातक की डिग्री <u>अनुभव:</u> संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव, वेतन मैट्रिक्स के 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार

12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): कार्यकारी सहायक (मत्स्यपालन) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 या समकक्ष पद पर संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष की सेवा का अनुभव रखते हों।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(79) प्रोग्राम अधिकारी (डेयरी)

1.	पदनाम	प्रोग्राम अधिकारी (डेयरी)
2.	पद संख्या	2
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु.4600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: डेयरी विज्ञान या डेयरी प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री।</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव, वेतन मैट्रिक्स के 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष

11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा):</u> कार्यकारी सहायक (डेयरी) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 या समकक्ष पद पर संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष की सेवा का अनुभव रखते हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(80) प्रोग्राम अधिकारी (कुक्कुटपालन एवं पशुधन)

1.	पदनाम	प्रोग्राम अधिकारी (कुक्कुटपालन एवं पशुधन)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु. 9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक की डिग्री <u>अनुभव:</u> संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव, वेतन मैट्रिक्स के 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।

9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): कार्यकारी सहायक (कुक्कुटपालन एवं पशुधन) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 या समकक्ष पद पर संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष की सेवा का अनुभव रखते हों।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(81) प्रोग्राम अधिकारी (वस्त्र)

1.	पदनाम	प्रोग्राम अधिकारी (वस्त्र)
2.	पद संख्या	2
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु.4600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: वस्त्र इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री अनुभव: संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव, वेतन मैट्रिक्स के 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि

		में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): कार्यकारी सहायक (वन्न) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 या समकक्ष पद पर संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष की सेवा का अनुभव रखते हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(82) प्रोग्राम अधिकारी (भंडारण/ शीत शृंखला)

1.	पदनाम	प्रोग्राम अधिकारी (भंडारण/ शीत शृंखला)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु.4600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष

8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: सिविल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री अनुभव: संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव, वेतन मैट्रिक्स के 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमात्र के तुलनीय होना चाहिए।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): कार्यकारी सहायक (भंडारण/शीत शृंखला) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 या समकक्ष पद पर संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष की सेवा का अनुभव रखते हों।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(83) प्रोग्राम अधिकारी (प्रसंस्करण)

1.	पदनाम	प्रोग्राम अधिकारी (प्रसंस्करण)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु.4600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं

7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: कृषि प्रसंस्करण/खाद्य प्रसंस्करण/खाद्य प्रौद्योगिकी/रेफ्रिजरेशन में स्नातक की डिग्री</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव, वेतन मैट्रिक्स के 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): कार्यकारी सहायक (प्रसंस्करण) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 या समकक्ष पद पर संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष की सेवा का अनुभव रखते हों।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(84) प्रोग्राम अधिकारी (विधिक)

1.	पदनाम	प्रोग्राम अधिकारी (विधिक)
2.	पद संख्या	2
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु.4600/-)

5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>आवश्यक: एलएलबी और बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित</p> <p>अनुभव: कानूनी/वित्तीय दस्तावेजीकरण, बंधक, गरंटी, हाइपोथिकेशन आदि तथा विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में मुकदमेबाजी संबंधी कार्यों में 2 वर्ष का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): कार्यकारी सहायक (विधिक) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/वित्तीय संस्थानों आदि में कार्यरत कर्मचारी, जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा का अनुभव हो और जिनके पास कानूनी/वित्तीय दस्तावेजीकरण, बंधक, गरंटी, हाइपोथिकेशन, वसूली और विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में मुकदमेबाजी से संबंधित अनुभव प्राप्त हो।।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)

14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं
-----	---	-----------

(85) प्रोग्राम अधिकारी (वसूली)

1.	पदनाम	प्रोग्राम अधिकारी (वसूली)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु.4600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p><u>आवश्यक:</u> एलएलबी और बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित</p> <p><u>अनुभव:</u> वसूली मुकदमे/दावे, सरफेसी अधिनियम, कृष्ण वसूली न्यायाधिकरण आदि और विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में मुकदमेबाजी संबंधी कार्यों में 2 वर्ष का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/ कैपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p><u>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा):</u> कार्यकारी सहायक (वसूली) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो।</p> <p><u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/ वित्तीय संस्थानों आदि में कार्यरत कर्मचारी, जो या तो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों अथवा जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 या उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, तथा जिन्हें वसूली संबंधी मुकदमें/दावे, सरफेसी अधिनियम,</p>

		ऋण वसूली न्यायाधिकरण इत्यादि से संबंधित कार्यों एवं इन विधियों पर विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में मुकदमेबाजी से संबंधित मामलों का अनुभव प्राप्त हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(86) प्रोग्राम अधिकारी (कार्मिक एवं प्रशासन/ मानव संसाधन विकास/ सतर्कता)

1.	पदनाम	प्रोग्राम अधिकारी (कार्मिक एवं प्रशासन/ मानव संसाधन विकास/ सतर्कता)
2.	पद संख्या	2
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु.4600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: मानव संसाधन में स्नातकोत्तर की डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)) अनुभव: संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव, वेतन मैट्रिक्स के 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): कार्यकारी सहायक (कार्मिक एवं प्रशासन/ मानव संसाधन विकास/ सतर्कता) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो। प्रतिनियुक्ति:

		केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 या समकक्ष पद पर संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष की सेवा का अनुभव रखते हों।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(87) प्रोग्राम अधिकारी (सामान्य प्रशासन- सिविल)

1.	पदनाम	प्रोग्राम अधिकारी (सामान्य प्रशासन- सिविल)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु.4600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री <u>अनुभव:</u> संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव, वेतन मैट्रिक्स के 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्यक्रमों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार

12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): कार्यकारी सहायक (सामान्य प्रशासन-सिविल) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 या समकक्ष पद पर संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष की सेवा का अनुभव रखते हों।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(88) प्रोग्राम अधिकारी (सामान्य प्रशासन-इलेक्ट्रिकल)

1.	पदनाम	प्रोग्राम अधिकारी (सामान्य प्रशासन- इलेक्ट्रिकल)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु.4600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव, वेतन मैट्रिक्स के 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष

11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): कार्यकारी सहायक (सामान्य प्रशासन-इलेक्ट्रिकल) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 या समकक्ष पद पर संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष की सेवा का अनुभव रखते हों।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(89) प्रोग्राम अधिकारी (सामान्य प्रशासन – स्टोर एवं खरीद)

1.	पदनाम	प्रोग्राम अधिकारी (सामान्य प्रशासन – स्टोर एवं खरीद)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु.4600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: सामग्री प्रबंधन/लॉजिस्टिक्स प्रबंधन या समकक्ष विषय में स्नातक की डिग्री</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव, वेतन मैट्रिक्स के 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं

10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): कार्यकारी सहायक (सामान्य प्रशासन – स्टोर एवं खरीद) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत अधिकारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 या समकक्ष पद पर संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष की सेवा का अनुभव रखते हों।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(90) प्रोग्राम अधिकारी (एमआईएस)

1.	पदनाम	प्रोग्राम अधिकारी (एमआईएस)
2.	पद संख्या	2
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु.4600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में बी.टेक. या एमसीए अनुभव: सुरक्षा/ विश्वेषण/ डेटाबेस प्रशासन / सॉफ्टवेयर विकास/नेटवर्किंग/सर्वर प्रबंधन/डेटाबेस विश्वेषण आदि क्षेत्रों में 2 वर्ष का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 या समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।

9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा):</u> कार्यकारी सहायक (एमआईएस) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सहकारी संगठन/ वित्तीय संस्थान आदि में कार्यरत ऐसे कर्मचारी, जो या तो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों अथवा जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 या उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, तथा जिनके पास सुरक्षा/विशेषण/डेटाबेस प्रशासन/एप्लीकेशन विकास/नेटवर्किंग/सर्वर प्रबंधन/डेटाबेस विशेषण आदि संबंधित क्षेत्रों का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(91) प्रोग्राम अधिकारी (कॉर्पोरेट संचार/ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता)

1.	पदनाम	प्रोग्राम अधिकारी (कॉर्पोरेट संचार/ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु.4600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती/ अनुबंध के लिए आवश्यक:</u> अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय/ व्यवसाय प्रशासन/ जनसंपर्क/ मीडिया प्रबंधन/ जनसंचार/ पत्रकारिता/ जनसंचार मल्टीमीडिया

	<p>एवं संचार में स्नातकोत्तर डिग्री/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)</p> <p><u>अनुभव:</u></p> <p>संचार के क्षेत्र में 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम दो वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना अनिवार्य है, जिसमें संगठन की दृश्यता बढ़ाने हेतु विभिन्न संचार उपकरणों एवं तकनीकों के प्रभावी उपयोग का उत्कृष्ट रिकॉर्ड सम्मिलित हो, तथा सभी प्रकार के मीडिया के माध्यम से व्यापक एवं विविध संचार रणनीतियों पर कार्य करने एवं सामग्री निर्माण का अनुभव अपेक्षित है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब इन-डिजाइन, कैनवा, फोटोशॉप एवं जीआईएफ निर्माण संबंधी डिजाइन सॉफ्टवेयर के उपयोग में दक्षता। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए

(92) प्रोग्राम अधिकारी (राजभाषा)

1.	पदनाम	प्रोग्राम अधिकारी (राजभाषा)
2.	पद संख्या	1

3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु.4600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री <u>अनुभव:</u> हिंदी में शब्दावली कार्य और अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य में कुल 2 वर्षों का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 या इसके समकक्ष पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा):</u> कार्यकारी सहायक (राजभाषा) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत कर्मचारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 या समकक्ष पद में 5 वर्ष की सेवा रखते हों, और जिनके पास, हिंदी में शब्दावली कार्य और अंग्रेजी से हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य से संबंधित क्षेत्र का अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(93) प्रोग्राम अधिकारी (पुस्तकालय)

1.	पदनाम	प्रोग्राम अधिकारी (पुस्तकालय)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर -7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु.4600/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	35 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<p>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री</p> <p>अनुभव: संबंधित क्षेत्र में कुल 2 वर्षों का अनुभव, 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 या इससे उच्च पद पर होना अनिवार्य है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों का सीटीसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेतनमान के तुलनीय होना चाहिए।</p>
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीमित विभागीय परीक्षा (एल.डी.ई.) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा): कार्यकारी सहायक (पुस्तकालय) के पद पर 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत कर्मचारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 या समकक्ष पद में 5 वर्ष की सेवा रखते हों, और जिनके पास संबंधित क्षेत्र का अनुभव हो।</p>
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)

14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं
-----	---	-----------

(94) कार्यकारी सहायक (वित्त)

1.	पदनाम	कार्यकारी सहायक (वित्त)
2.	पद संख्या	-*
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4200/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> सीए इंटरमीडिएट/आईसीडब्ल्यूए इंटरमीडिएट के साथ संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्यिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	कार्यात्मक उन्नयन; अन्यथा की दशा में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>कार्यात्मक उन्नयन:</u> कार्यालय सहायक (वित्त) के पद पर 8 वर्ष की सेवा कर चुके हो। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/वित्तीय संस्थानों आदि संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी जो समकक्ष पदों पर हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा संबंधित क्षेत्रों में की हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

कार्यात्मक उन्नयन: कार्यालय सहायक (वित्त) के पद पर 8 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत वित्त संवर्ग के कर्मचारी को डीपीसी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 में कार्यकारी सहायक (वित्त) के पद पर कार्यात्मक रूप से उन्नत किया जाएगा।

(95) कार्यकारी सहायक (सामान्य प्रबंधन)

1.	पदनाम	कार्यकारी सहायक (सामान्य प्रबंधन)
2.	पद संख्या	31
3.	वर्गीकरण	“ब्र”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4200/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> सहकारी प्रबंधन / सहकारी विकास / कृषि व्यवसाय / ग्रामीण विकास अथवा निगम के अधिदेश के अंतर्गत आने वाले अन्य क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री / एग्जीक्यूटिव एम.बी.ए. / स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	i. सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार कैंपस प्लेसमेंट/ सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति ii. भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार अनुकंपा के आधार पर
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा):</u> कार्यालय सहायक (सामान्य प्रबंधन) जिन्होंने इस ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा कर चुके हो। मौजूदा कनिष्ठ सहायक जो इन भर्ती नियमों के कार्यान्वयन से पहले सीधी भर्ती कोटे के तहत निगम में शामिल हुए हैं, वे इस पद पर 5 वर्ष की सेवा पूरी करने पर पदोन्नति के लिए विचार के पात्र होंगे। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/वित्तीय संस्थानों आदि संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4

		अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा संबंधित क्षेत्रों में की हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(96) कार्यकारी सहायक (सहकारी विकास)

1.	पदनाम	कार्यकारी सहायक (सहकारी विकास)
2.	पद संख्या	31
3.	वर्गीकरण	“ब्र”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4200/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> सहकारी प्रबंधन / सहकारी विकास / कृषि व्यवसाय / ग्रामीण विकास अथवा निगम के अधिदेश के अंतर्गत आने वाले संबंधित अन्य क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट- भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/वित्तीय संस्थानों आदि संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा संबंधित क्षेत्रों में की हो ।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)

14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं
-----	---	-----------

(97) कार्यकारी सहायक (विपणन प्रबंधन)

1.	पदनाम	कार्यकारी सहायक (विपणन प्रबंधन)
2.	पद संख्या	10
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4200/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> विपणन में स्नातकोत्तर डिग्री/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट- भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/वित्तीय संस्थानों आदि संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा संबंधित क्षेत्रों में की हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(98) कार्यकारी सहायक (प्रशिक्षण)

1.	पदनाम	कार्यकारी सहायक (प्रशिक्षण)
2.	पद संख्या	5
3.	वर्गीकरण	“ख”

4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4200/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> सहकारी प्रबंधन / सहकारी विकास / कृषि व्यवसाय / ग्रामीण विकास अथवा निगम के अधिदेश के अंतर्गत आने वाले अन्य क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री / एग्जीक्यूटिव एम.बी.ए. / स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्यिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट- भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/वित्तीय संस्थानों आदि संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा संबंधित क्षेत्रों में की हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(99) कार्यकारी सहायक (चीनी)

1.	पदनाम	कार्यकारी सहायक (चीनी)
2.	पद संख्या	5
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4200/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं

7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> चीनी इंजीनियरिंग/चीनी प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट- भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/वित्तीय संस्थानों आदि संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा संबंधित क्षेत्रों में की हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(100) कार्यकारी सहायक (मत्स्य पालन)

1.	पदनाम	कार्यकारी सहायक (मत्स्य पालन)
2.	पद संख्या	4
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4200/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> मत्स्यपालन विज्ञान में स्नातक की डिग्री
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष

11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट- भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति: केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/वित्तीय संस्थानों आदि संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा संबंधित क्षेत्रों में की हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(101) कार्यकारी सहायक (डेयरी)

1.	पदनाम	कार्यकारी सहायक (डेयरी)
2.	पद संख्या	3
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4200/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: डेयरी विज्ञान/डेयरी प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट- भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति: केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/वित्तीय संस्थानों आदि संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4

		अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा संबंधित क्षेत्रों में की हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(102) कार्यकारी सहायक (कुक्कुटपालन और पशुधन)

1.	पदनाम	कार्यकारी सहायक (कुक्कुटपालन और पशुधन)
2.	पद संख्या	2
3.	वर्गीकरण	“ब्र”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4200/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक की डिग्री
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट- भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/वित्तीय संस्थानों आदि संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा संबंधित क्षेत्रों में की हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(103) कार्यकारी सहायक (वस्त्र)

1.	पदनाम	कार्यकारी सहायक (वस्त्र)
2.	पद संख्या	3
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4200/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: वस्त्र इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट- भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/वित्तीय संस्थानों आदि संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा संबंधित क्षेत्रों में की हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(104) कार्यकारी सहायक (भंडारण/ शीत शृंखला)

1.	पदनाम	कार्यकारी सहायक (भंडारण / शीत शृंखला)
2.	पद संख्या	2
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4200/-)

5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> सिविल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट- भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/वित्तीय संस्थानों आदि संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा संबंधित क्षेत्रों में की हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(105) कार्यकारी सहायक (प्रसंस्करण)

1.	पदनाम	कार्यकारी सहायक (प्रसंस्करण)
2.	पद संख्या	2
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4200/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> कृषि-प्रसंस्करण/खाद्य-प्रसंस्करण/खाद्य प्रौद्योगिकी/रेफ्रिजरेशन में स्नातक की डिग्री

9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट- भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति: केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/वित्तीय संस्थानों आदि संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा संबंधित क्षेत्रों में की हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(106) कार्यकारी सहायक (विधिक)

1.	पदनाम	कार्यकारी सहायक (विधिक)
2.	पद संख्या	3
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4200/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: एलएलबी और बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट- भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।

12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति: केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/वित्तीय संस्थानों आदि में कार्यरत कर्मचारी, जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा का अनुभव हो और जिनके पास कानूनी/वित्तीय दस्तावेजीकरण, बंधक, गारंटी, हाइपोथिकेशन और विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में मुकदमेबाजी से संबंधित अनुभव प्राप्त हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(107) कार्यकारी सहायक (वसूली)

1.	पदनाम	कार्यकारी सहायक (वसूली)
2.	पद संख्या	2
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4200/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: एलएलबी और बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट- भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।

12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति: केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/ वित्तीय संस्थानों आदि में कार्यरत कर्मचारी, जो या तो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों अथवा जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4 या उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, तथा जिन्हें वसूली संबंधी मुकदमें/दावे, सरफेसी अधिनियम, ऋण वसूली न्यायाधिकरण इत्यादि से संबंधित कार्यों एवं इन विषयों पर विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में मुकदमेबाजी से संबंधित मामलों का अनुभव प्राप्त हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(108) कार्यकारी सहायक (कार्मिक एवं प्रशासन/मानव संसाधन विकास/सतर्कता)

1.	पदनाम	कार्यकारी सहायक (कार्मिक एवं प्रशासन/मानव संसाधन विकास/सतर्कता)
2.	पद संख्या	3
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4200/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: मानव संसाधन में स्नातकोत्तर डिग्री/एग्जीक्यूटिव एम.बी.ए./ स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैपस प्लेसमेंट- भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।

12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति: केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/वित्तीय संस्थानों आदि संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा संबंधित क्षेत्रों में की हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(109) कार्यकारी सहायक (सामान्य प्रशासन - सिविल)

1.	पदनाम	कार्यकारी सहायक (सामान्य प्रशासन - सिविल)
2.	पद संख्या	2
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4200/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट- भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति: केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/वित्तीय संस्थानों आदि संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा संबंधित क्षेत्रों में की हो।

13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(110) कार्यकारी सहायक (सामान्य प्रशासन-इलेक्ट्रिकल)

1.	पदनाम	कार्यकारी सहायक (सामान्य प्रशासन- इलेक्ट्रिकल)
2.	पद संख्या	2
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4200/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक:</u> इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट- भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/वित्तीय संस्थानों आदि संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा संबंधित क्षेत्रों में की हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(111) कार्यकारी सहायक (सामान्य प्रशासन – स्टोर एवं खरीद)

1.	पदनाम	कार्यकारी सहायक (सामान्य प्रशासन – स्टोर एवं खरीद)
2.	पद संख्या	2
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4200/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: सामग्री प्रबंधन/लॉजिस्टिक्स प्रबंधन या समकक्ष विषय में स्नातक की डिग्री
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/केंपस प्लेसमेंट- भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति: केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/वित्तीय संस्थानों आदि संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा संबंधित क्षेत्रों में की हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(112) कार्यकारी सहायक (एमआईएस)

1.	पदनाम	कार्यकारी सहायक (एमआईएस)
2.	पद संख्या	3
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4200/-)

5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में बी.टेक या एमसीए
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट- भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति: केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/वित्तीय संस्थानों आदि संबंधित क्षेत्रों में समकक्ष पदों पर कार्यरत कर्मचारी या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा सुरक्षा/विश्वेषण/डेटाबेस प्रशासन/सॉफ्टवेयर विकास/नेटवर्किंग/सर्वर प्रबंधन/डेटाबेस विश्वेषण आदि संबंधित क्षेत्रों में की हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(113) कार्यकारी सहायक (कॉर्पोरेट संचार/अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता)

1.	पदनाम	कार्यकारी सहायक (कॉर्पोरेट संचार/अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता)
2.	पद संख्या	2
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4200/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष

8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय/ व्यवसाय प्रशासन /जनसंपर्क/सीडिया प्रबंधन/जनसंचार/पत्रकारिता/मास मल्टीमीडिया एवं संचार में मास्टर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष की अवधि)
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट- भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत कर्मचारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 या समकक्ष पद पर संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष की नियमित सेवा का अनुभव रखते हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हां (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(114) कार्यकारी सहायक (राजभाषा)

1.	पदनाम	कार्यकारी सहायक (राजभाषा)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4200/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष

11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट- भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सहकारी संगठन/वित्तीय संस्थाओं आदि में कार्यरत कर्मचारी जो समकक्ष पद पर कार्यरत हों या सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 या समकक्ष पद में 5 वर्ष की सेवा रखते हों, और जिनके पास, हिंदी में शब्दावली कार्य और अंग्रेजी से हिंदी में एवं हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कार्य से संबंधित क्षेत्र में अनुभव हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(115) कार्यकारी सहायक (पुस्तकालय)

1.	पदनाम	कार्यकारी सहायक (पुस्तकालय)
2.	पद संख्या	1
3.	वर्गीकरण	“ख”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2: रु.9300-34800/- के साथ ग्रेड पे रु. 4200/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / अनुबंध हेतु आवश्यक: पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध/कैंपस प्लेसमेंट- भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार।

12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति: केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/सहकारी संगठनों/वित्तीय संस्थानों आदि संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी जो समकक्ष पदों पर कार्यरत हों या जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-4 अथवा उसके समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा संबंधित क्षेत्रों में की हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(116) कार्यालय सहायक (वित्त)

1.	पदनाम	कार्यालय सहायक (वित्त)
2.	पद संख्या	38
3.	वर्गीकरण	“ग”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-4 (पूर्व-संशोधित वेतनमान पे बैंड -1: रु. 5200-20200/- के साथ ग्रेड पे रु. 2400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती / आउटसोर्सिंग हेतु आवश्यक: सीए इंटरमीडिएट/ आईसीडब्ल्यूए इंटरमीडिएट
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	लागू नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती/अनुबंध/आउटसोर्सिंग
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	लागू नहीं
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(117) कार्यालय सहायक (सामान्य प्रबंधन)

1.	पदनाम	कार्यालय सहायक (सामान्य प्रबंधन)
2.	पद संख्या	16
3.	वर्गीकरण	“ग”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-4 (पूर्व-संशोधित वेतनमान पे बैंड -1: रु. 5200-20200/- के साथ ग्रेड पे रु. 2400/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	30 वर्ष
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>सीधी भर्ती / अनुबंध/आउटसोर्सिंग हेतु आवश्यक:</u> i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री ii. कंप्यूटर का ज्ञान
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	लागू नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	i. सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति ii. सीधी भर्ती/अनुबंध/आउटसोर्सिंग iii. भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार अनुकंपा के आधार पर
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	<u>पदोन्नति (सीमित विभागीय परीक्षा):</u> मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए निम्नलिखित योग्यता और अनुभव आवश्यक हैं: अनिवार्य: i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री ii. कंप्यूटर का ज्ञान iii. मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में कम से कम 8 वर्ष की निरंतर सेवा कर चुके हो।
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	हाँ (विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय चयन समिति की संरचना नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार भिन्न हो सकती है)
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(118) स्टाफ कार चालक

1.	पदनाम	स्टाफ कार चालक
2.	पद संख्या	8
3.	वर्गीकरण	“ग”

4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-2 (पूर्व-संशोधित वेतनमान पे बैंड-1: रु. 5200-20200/- के साथ ग्रेड पे रु. 1900/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	लागू नहीं
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	<u>आवश्यक:</u> i. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष ii. ड्राइविंग का ज्ञान और अनुभव iii. वैथ ड्राइविंग लाइसेंस
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	लागू नहीं
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	अनुबंध/आउटसोर्सिंग
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	लागू नहीं
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	लागू नहीं
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

(119) मल्टी टास्किंग स्टाफ

1.	पदनाम	मल्टी टास्किंग स्टाफ (इलेक्ट्रीशियन/प्लंबर/स्कूटर राइडर/हेल्पर और अन्य सेवा कर्मचारी)
2.	पद संख्या	85
3.	वर्गीकरण	“ग”
4.	पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे लेवल	सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-1 (पूर्व संशोधित पे बैंड-1: रु.5200-20200/- के साथ ग्रेड पे रु. 1800/-)
5.	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा योजित वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा	लागू नहीं
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	दसवीं कक्षा उत्तीर्ण या आईटीआई
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी ?	लागू नहीं

10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
11.	भर्ती की विधि —सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा — तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	i. अनुबंध/आउटसोर्सिंग ii. भर्ती नियमों के सामान्य नोट में निर्धारित नीति के अनुसार अनुकंपा के आधार पर।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	लागू नहीं
13.	यदि कोई डीपीसी/डीएससी मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	लागू नहीं
14.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

सामान्य नोट:

1. “विभिन्न कार्यों के लिए कार्मिकों की आवश्यकता के अनुसार, भर्ती नियमों में दिए गए विकल्पों के अंतर्गत निर्धारित योग्यता और अनुभव में से कोई एक, सभी, या इनका कोई संयोजन, प्रबंध निदेशक की स्वीकृति से अपनाया जा सकता है।”

2. आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि निर्धारित करने की निर्णयक तिथि, रिक्त पदों को भरने हेतु जारी विज्ञापन में उल्लिखित तिथि होगी। सभी पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

3. अनुबंध आधार पर भर्ती के लिए आयु सीमा वही होगी, जो संबंधित पदों के लिए सीधी भर्ती के अंतर्गत निर्धारित है। प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती के लिए आयु सीमा भारत सरकार के मानकों के अनुरूप होगी।

4. “प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पूर्व किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग या केंद्र सरकार में की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छठे एवं सातवें वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति विस्तार का निर्णय क्रमशः प्रबंध मंडल एवं महापरिषद के निर्णयानुसार होगा।”

5. एनसीडीसी में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के आमेलन का कोई प्रावधान नहीं होगा।

6. “सीधी भर्ती के लिए आरक्षित पदों को, भर्ती नियमों में उल्लिखित प्रतिनियुक्ति, संविदा आदि जैसी अन्य भर्ती विधियों से भी भरा जा सकता है। इसी प्रकार पदोन्नति/ सीमित विभागीय परीक्षा कोटा के लिए आरक्षित पदों पर यदि पदोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो उन्हें भी भर्ती नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति, संविदा आदि अन्य भर्ती विधियों से भरा जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी ही सक्षम प्राधिकारी होगा।”

7. “एनसीडीसी के प्रबंध निदेशक, प्रत्यक्ष भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत, आवश्यकतानुसार एवं उपयुक्त समझे जाने पर, एनसीडीसी की कार्यबल आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उपनिदेशक, सहायक निदेशक, प्रोग्राम अधिकारी और कार्यकारी सहायक के पदों पर रिक्तियों को भरने के लिए कैंपस भर्ती का उपयोग कर सकते हैं। कैंपस भर्ती के लिए दिशा-निर्देश निम्नलिखित होंगे:-”
i. कैंपस भर्ती से चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभ में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर संबंधित पद पर नियुक्त किया जाएगा तथा उन्हें निगम में प्रचलित दरों पर वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाएँगे। परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर, परिवीक्षाधीन को निगम में स्थायी पद पर नियुक्त किया जाएगा।

ii. उप निदेशक के पदों हेतु कैंपस भर्ती आईआईएम अथवा समान प्रतिष्ठा वाले प्रमुख संस्थानों तथा एनआईआरएफ रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 5 सरकारी संस्थानों से की जाएगी। सहायक निदेशक के पदों हेतु कैंपस भर्ती टीएसयू (पूर्ववर्ती आईआरएमए), मैनेज अथवा समान संस्थानों तथा एनआईआरएफ के शीर्ष 10 सरकारी संस्थानों से की जाएगी। प्रोग्राम अधिकारी हेतु भर्ती एनआईआरएफ रैंकिंग में शीर्ष 25 संस्थानों से, तथा कार्यकारी सहायक हेतु भर्ती एनआईआरएफ के शीर्ष 50 संस्थानों से की जाएगी।

iii. “कैंपस प्लेसमेंट के उद्देश्य से, पद के लिए भर्ती नियमों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त, वित्त या निगम के अधिदेश में सम्मिलित अन्य संबंधित क्षेत्रों में एम.बी.ए./ एग्जीक्यूटिव-एम.बी.ए./ स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2-वर्षीय अवधि) को भी उस पद के लिए पात्र शैक्षणिक योग्यता माना जाएगा, जिसके लिए कैंपस प्लेसमेंट पर विचार किया जा रहा है।”

iv. किसी भी पद के लिए कैंपस भर्ती उस संस्थान से नहीं की जाएगी जहाँ उसी या पदानुक्रम के अनुसार कनिष्ठ पदों हेतु निगम द्वारा पहले से कैंपस प्लेसमेंट अभियान आयोजित किया जा चुका हो अथवा किया जाना प्रस्तावित हो, और इसका विपरीत भी लागू होगा।

v. आईआईएम एवं समकक्ष संस्थानों से की गई भर्तियों हेतु प्रबंध मंडल के निर्णयानुसार प्रीमियर संस्थान भत्ते का प्रावधान होगा। यह भत्ता चयनित अभ्यर्थी के मूल वेतन के अनुपात में होगा तथा स्वीकार्य मूल वेतन के अधिकतम तीन गुना तक प्रदान किया जा सकता है। इस भत्ते पर महँगाई भत्ता देय नहीं होगा।

8. भर्ती के सभी माध्यमों में विभागीय उम्मीदवारों पर आयु सीमा का प्रावधान लागू नहीं होगा।

9. वित्त एवं बैंकिंग क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले कर्मचारी/अधिकारी, जिन्हें एनसीडीसी में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है, वे संबंधित पद हेतु निर्धारित वेतनमान के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं अथवा नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति से अपने मूल संवर्ग में स्वीकार्य वेतन, भत्ते एवं परिलब्धियाँ प्राप्त करना जारी रख सकते हैं, वशर्ते मूल/धारक संगठन द्वारा स्वीकार्य वेतन भत्तों एवं परिलब्धियों का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए।

10. “सभी पदों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया चार चरणों में सम्पन्न होगी— (i) यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो, तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से प्रारंभिक शॉर्टलिस्टिंग, (ii) स्क्रीनिंग समिति द्वारा आवेदनों की जाँच-पड़ताल, जिसमें कार्मिक एवं प्रशासन प्रभाग के प्रभागाध्यक्ष, उस संबंधित प्रभाग के प्रभागाध्यक्ष (जिसके अंतर्गत पद विज्ञापित किया गया है) तथा विधिक प्रभाग के एक प्रतिनिधि शामिल होंगे, (iii) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित/गठित समिति द्वारा प्रारंभिक साक्षात्कार, जिसमें (डीमेन विशेषज्ञ/विशेषज्ञ) के रूप में एनसीडीसी के कम से कम एक सेवानिवृत्त अधिकारी का होना अनिवार्य होगा, और (iv) चयन समिति द्वारा अंतिम साक्षात्कार, जिसकी अध्यक्षता एनसीडीसी के प्रबंध निदेशक करेंगे। डीओपीटी के प्रचलित मानकों के अनुसार, समूह ‘बी’ एवं समूह ‘सी’ पदों की भर्ती हेतु कोई साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाएगा।

11. “कार्यात्मक उन्नयन संबंधित भर्ती नियमों में निर्दिष्ट पदों पर, फीडर संवर्ग पद में आवश्यक पात्रता अवधि की सेवा पूर्ण करने के पश्चात तथा डीपीसी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर प्रदान किया जाएगा। कार्यात्मक उन्नयन में पदोन्नति प्राप्त पद की सभी जिम्मेदारियाँ एवं लाभ, जिसमें वेतन निर्धारण भी शामिल है, प्रदान किए जाएँगे। समूह ‘क’ पदों के लिए पदोन्नति, कार्यात्मक उन्नयन तथा सीमित विभागीय परीक्षा में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा साक्षात्कार सम्मिलित होगा, जिसके माध्यम से अधिकारियों की पदोन्नति/कार्यात्मक उन्नयन के लिए उपयुक्तता का आकलन किया जाएगा। साक्षात्कार प्रक्रिया के कारक/मानदंड तथा उनका संबंधित भारानुक्रम प्रबंध निदेशक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अन्य पदों (समूह ‘ख’/समूह ‘ग’) के लिए, डीपीसी उम्मीदवारों की उपयुक्तता का मूल्यांकन वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट, संपूर्ण सेवा अभिलेख, 360-डिग्री मूल्यांकन तथा अभ्यर्थी द्वारा डीपीसी के समक्ष अपनी उपलब्धियों/निष्पादित दायित्वों को रेखांकित करते हुए दी जाने वाली प्रस्तुति के आधार पर करेगा।”

12. “7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के एक ही वेतन स्तर में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, पदोन्नति पद के वेतनमान में गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाएगा, वशर्ते कि वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट, सेवा अभिलेख आदि के आधार पर विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा उपयुक्त पाया जाए। गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन का अभिप्राय केवल एनसीडीसी की पदानुक्रमानुसार भर्ती नियमों में निर्दिष्ट पदों से संबद्ध पदोन्नति वेतन स्तर में कर्मचारी को स्थान देना है। गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के लिए न्यूनतम ग्रेडिंग ‘बहुत अच्छा’ अनिवार्य होगी। गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन पूर्णतः कर्मचारी व्यक्तिपरक होगा और उसके वरिष्ठता क्रम से कोई संबंध नहीं होगा। नियमित पदोन्नति के समय देय वेतन निर्धारण का लाभ गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन के समय भी प्रदान किया जाएगा। तथापि, उसी वेतनमान में नियमित पदोन्नति मिलने पर कोई अतिरिक्त वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा।”

13. सेवा के दौरान एनसीडीसी कर्मचारी की अचानक मृत्यु या चिकित्सीय अक्षमता के कारण उसके परिवार द्वारा सामना किए जाने वाले तत्काल संकट को दूर करने हेतु, अनुकंपा नियुक्ति आधार पर कार्यकारी सहायक (सामान्य प्रबंधन), कार्यालय सहायक (सामान्य प्रबंधन) तथा मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों के लिए, आवेदक की पात्रता के अनुसार विचार किया जाएगा। कार्यकारी सहायक (सामान्य प्रबंधन) के पद पर नियुक्ति हेतु किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा कार्यकारी सहायक संवर्ग की विभिन्न स्पेशलाइजेशन के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता अनिवार्य होगी। कार्यालय सहायक (सामान्य प्रबंधन) एवं मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों के लिए शैक्षिक योग्यता संबंधित पदों के भर्ती नियमों के अनुसार होगी। अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी। इस उद्देश्य के लिए आश्रितों का निर्धारण, संबंधित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा सेवा अवधि में प्रस्तुत नामांकन के अनुसार किया जाएगा। यदि कर्मचारी द्वारा नामांकन प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तो ‘परिवार’ की परिभाषा ग्रेच्युटी नियमों के अनुसार मानी जाएगी। दयालुता आधार पर नियुक्ति, संबंधित पद के भर्ती नियमों के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध की जाएगी। यदि संबंधित पद में कोई रिक्ति उपलब्ध न हो, तो नियुक्ति संबंधित कैडर में एक अधिसंख्यक पद के विरुद्ध की जाएगी। ऐसे अधिसंख्यक पद पर की गई नियुक्ति को अंततः उसी कैडर में उपलब्ध होने वाली प्रथम नियमित रिक्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, जिसके लिए भर्ती मूल रूप से प्रस्तावित थी। इन दिशा-निर्देशों में सम्मिलित न किए गए अनुकंपा आधारित नियुक्तियों से संबंधित सभी मामलों में डीओपीटी के संबंधित मानदंड लागू होंगे।”

14. निगम के भर्ती नियमों में आवश्यक परिवर्तनों को सम्मिलित करने के लिए संशोधन किए जा रहे हैं, जो सहकारिता मंत्रालय के गठन के उपरांत निगम की गतिविधियों में वृद्धि तथा समयानुकूल आवश्यकताओं के कारण अनिवार्य हुए हैं। इस संक्रमण अवधि में वर्तमान कर्मचारियों के हित, निष्पक्षता तथा निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य निदेशक और उप निदेशक के पदों हेतु सीमित विभागीय परीक्षा का प्रावधान उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो संशोधित भर्ती नियमों के लागू होने से पूर्व निगम की सेवा में थे। संशोधित भर्ती नियमों के लागू होने के बाद निगम में सेवा ग्रहण करने वाले किसी भी कर्मचारी के लिए इन पदों हेतु सीमित विभागीय परीक्षा का प्रावधान उपलब्ध नहीं होगा।

15. निगम के वे कर्मचारी जिनके पास वित्त विषय में स्नातकोत्तर डिग्री/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा (दो वर्षीय) है, उन्हें पदोन्नति और कार्यात्मक उन्नयन के विचारार्थ वित्त संवर्ग में सम्मिलित किया जाएगा।

16. पदानुक्रम के अनुसार अगले उच्चतर पद हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता-सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरांत, विभागीय उम्मीदवार संबंधित पद के लिए जब भी सीधी भर्ती अधिसूचित की जाएगी, उस पर आवेदन करने के पात्र होंगे।

17. एनसीडीसी में अनुबंध आधार पर की जाने वाली नियुक्तियाँ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी। अनुबंध आधार की नियुक्ति से एनसीडीसी या उसके संबद्ध संगठनों में नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अनुबंध कर्मचारी को क्षतिपूर्ति/ ग्रेच्युटी/ आमेलन/ सेवा के नियमितीकरण का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि अधिकतम 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रारंभिक नियुक्ति अवधि 3 वर्ष की होगी, जिसे अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

18. सार्वजनिक उपक्रमों, सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों आदि में, सीडीए वेतनमान से भिन्न वेतनमान पर कार्यरत व्यक्तियों के वेतन-समकक्षता का निर्धारण केवल उनके वर्तमान मूल वेतन और महार्डाई भत्ते के आधार पर किया जाएगा। निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के मामले में, उनकी सीटीसी की तुलना सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित वेतनमान से की जाएगी।

19. अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक आदि हेतु आरक्षित पदों का चिह्निकरण तथा आयु में छूट तथा अन्य सभी आरक्षण संबंधी प्रावधान भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुरूप होंगे।

20. निगम की आवश्यकता के अनुसार, सभी पदों के लिए प्रासंगिक क्षेत्र में आवश्यक अनुभव का विस्तृत विवरण संबंधित पद के लिए अधिसूचना जारी करते समय प्रबंध निदेशक की स्वीकृति से निर्धारित किया जाएगा।

21. पदोन्नति, सीमित विभागीय परीक्षा तथा कार्यात्मक उन्नयन हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष में दो बार—जनवरी और जुलाई में—उन कर्मचारियों के लिए आयोजित की जाएगी, जिन्होंने 1 जनवरी/1 जुलाई को निर्धारित योग्यता-सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो।

22. विभागीय पदोन्नति समिति तथा विभागीय चयन/स्क्रीनिंग समिति का गठन नियुक्ति प्राधिकारी के निर्णयानुसार तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

23. एनसीडीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख/प्रभारी अधिकारी को क्षेत्रीय निदेशक तथा लिनाक, गुरुग्राम के प्रमुख/प्रभारी अधिकारी को महानिदेशक नामित किया जाएगा। यह नामांकन अधिकारी के वर्तमान पदनाम से स्वतंत्र होगा।

24. यह प्रावधान पूर्ववर्ती भर्ती नियमों का स्थान लेंगे, और भविष्य में किसी प्रकार की विसंगति होने पर डीओपीटी के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

25. यह प्रावधान/संशोधन राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे।

पंकज कुमार बंसल, प्रबंध निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./578/2025-26]

NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2026

F. No. NCDC:2-1/2025.—In exercise of the powers conferred by Regulation 7-A of National Cooperative Development Corporation Service Regulations, 1967, the Board of Management of the Corporation in its meeting held on 17th October, 2025 has amended the Recruitment Rules and decided to adopt them as under:—

(1) Deputy Managing Director (General)

1.	Name of post	Deputy Managing Director (General)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	<p>DR/Contract: CTC based, negotiable as per market standards (Remuneration/Pay Compensation will not be a limiting factor for a deserving candidate and can be negotiated in consideration to the last/current CTC drawn)</p> <p>Deputation: Level-13A of the pay matrix as per 7th CPC (Pre revised PB-4: Rs.37400-67000/- with Grade Pay Rs.8900/-)</p>
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	55 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/Executive MBA/Post Graduate Diploma (2-years duration) in Business Administration/ Management/ Marketing/ Cooperative Management/ Cooperative Development/ Agri-Business/ Rural Development/ Finance/ Banking/ Human Resources or other such fields as are covered by the Corporation's mandate.</p> <p>Experience: 20 years' of experience in Cooperation/ Finance/ Administration sector of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-13 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in cooperative organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment on fixed tenure of 5 years or 60 years of age (whichever is earlier)/ Deputation/ Contract
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Deputation: Civil Servant of the rank of Director in the scale of Level – 13 of pay matrix as per 7th CPC to the Government of India or equivalent in the cadre having experience in Cooperation/ Finance Sector/ Administration in Central/ State Government.</p>

13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(2) Deputy Managing Director (Finance)

1.	Name of post	Deputy Managing Director (Finance)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	<p>DR/Contract: CTC based, negotiable as per market standards (Remuneration/Pay Compensation will not be a limiting factor for a deserving candidate and can be negotiated in consideration to the last/current CTC drawn)</p> <p>Deputation: Level-13A of the pay matrix as per 7th CPC (Pre revised PB-4: Rs.37400-67000/- with Grade Pay Rs.8900/-)</p>
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	55 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Chartered Accountant/ Cost and Management Accountant</p> <p>Experience: 20 years' of experience in finance, recovery, accounts, costing, taxation, risk assessment, audit, resource management, project appraisal, financing, monitoring, evaluation and allied functions of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-13 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: i. CFA/FRM/PRM/CS ii. Experience in cooperative Banking is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment on fixed tenure of 5 years or 60 years of age (whichever is earlier)/Deputation/ Contract
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Cooperative Organization/ Recognized Universities/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 2 years' service in posts carrying Level-13 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the responsible position in the relevant field in Banking/Finance sector.</p>

13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(3) Financial Adviser

1.	Name of post	Financial Adviser
2.	Number of post	—*
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	<p>DR/Contract: CTC based, negotiable as per market standards (Remuneration/Pay Compensation will not be a limiting factor for a deserving candidate and can be negotiated in consideration to the last/current CTC drawn)</p> <p>Deputation: Level-13A of the pay matrix as per 7th CPC (Pre revised PB-4: Rs.37400-67000/- with Grade Pay Rs.8900/-)</p>
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	52 years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Chartered Accountant/ Cost and Management Accountant</p> <p>Experience: 18 years' of experience in finance, recovery, accounts, costing, taxation, risk assessment, audit, resource management, project appraisal, financing, monitoring, evaluation and allied functions of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-13 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. CFA/FRM/PRM/CS ii. Experience in Cooperative Banking is preferable.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Functional upgradation, failing which by direct recruitment on fixed tenure of 5 years or 60 years of age (whichever is earlier)/Deputation/ Contract
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Functional Upgradation: Finance cadre officers holding the post of Chief Director with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 2 years' service in posts carrying Level-13 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the responsible position in finance, recovery, accounts, costing, taxation, risk assessment, audit, resource management, project appraisal, financing, monitoring, evaluation and allied functions.</p>

13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

* Functional Upgradation: Finance cadre officer holding the post of Chief Director with 5 years' service in the grade shall be functionally upgraded to the post of Financial Adviser in the pay level-13A of the pay matrix as per 7th CPC subject to being found fit by the DPC.

(4) Executive Director (General Management)

1.	Name of post	Executive Director (General Management)
2.	Number of post	—*
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	<p>DR/Contract: CTC based, negotiable as per market standards (Remuneration/Pay Compensation will not be a limiting factor for a deserving candidate and can be negotiated in consideration to the last/current CTC drawn)</p> <p>Deputation: Level-13A of the pay matrix as per 7th CPC (Pre revised PB-4: Rs.37400-67000/- with Grade Pay Rs.8900/-)</p>
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	52 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/ Executive MBA /Post Graduate Diploma (2-years duration) in Cooperative Management/ Cooperative Development/ Agri-Business/ Rural Development or other such fields as are covered by the Corporation's mandate.</p> <p>Experience: 18 years' of experience in Cooperation/ Finance/ Administration of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-13 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Functional upgradation, failing which by direct recruitment on fixed tenure of 5 years or 60 years of age (whichever is earlier)/Deputation/ Contract
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Functional Upgradation: Chief Director with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 2 years' service in posts carrying Level-13 of pay matrix as per</p>

		7th CPC or equivalent, having experience in the responsible position in Cooperation /Finance /Administration.
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

* Functional Upgradation: Chief Director with 5 years' service in the grade shall be functionally upgraded to the post of Executive Director (General Management) in the pay level-13A of the pay matrix as per 7th CPC subject to being found fit by the DPC.

(5) Chief Director (Finance)

1.	Name of post	Chief Director (Finance)
2.	Number of post	2
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-13 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-4: Rs.37400-67000/- with Grade Pay Rs.8700/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	50 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Chartered Accountant/ Cost and Management Accountant</p> <p>Experience: 15 years' of experience in finance, accounts, costing, recovery, taxation, risk assessment, audit, resource management, project appraisal, financing, monitoring, evaluation and allied functions of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-12 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: i. CFA/FRM/PRM/CS ii. Experience in Cooperative Banking is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	i. 1 (50%) by direct recruitment/ deputation/ contract ii. 1 (50%) by promotion through Limited Departmental Examination (LDE)
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Finance cadre officers holding the post of Director with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-12 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive</p>

		capacity in finance, accounts, costing, recovery, taxation, risk assessment, audit, resource management, project appraisal, financing, monitoring, evaluation and allied functions.
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(6) Chief Director (General Management)

1.	Name of post	Chief Director (General Management)
2.	Number of post	5
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-13 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-4: Rs.37400-67000/- with Grade Pay Rs.8700/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	50 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/ Executive MBA/Post Graduate Diploma (2-years duration) in Cooperative Management/ Cooperative Development/ Agri-Business/ Rural Development or other such fields as are covered by the Corporation's mandate.</p> <p>Experience: 15 years' of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-12 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	i. 2 (40%) by direct recruitment/ deputation/ contract ii. 3 (60%) by promotion through Limited Departmental Examination (LDE)
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Director with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-12 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)

14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable
-----	--	----------------

(7) Chief Director (Cooperative Development)

1.	Name of post	Chief Director (Cooperative Development)
2.	Number of post	4
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-13 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-4: Rs.37400-67000/- with Grade Pay Rs.8700/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	50 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/Executive MBA/Post Graduate Diploma (2-years duration) in Cooperative Management/ Cooperative Development or other such fields as are covered by the Corporation's mandate</p> <p>Experience: 15 years' of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-12 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	i. 2 (50%) by direct recruitment/ deputation/ contract ii. 2 (50%) by promotion through Limited Departmental Examination (LDE)
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Director with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-12 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(8) Chief Director (Marketing Management)

1.	Name of post	Chief Director (Marketing Management)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-13 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-4: Rs.37400-67000/- with Grade Pay Rs.8700/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	50 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/Executive MBA/Post Graduate Diploma (2-years duration) in Marketing</p> <p>Experience: 15 years' of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-12 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-12 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(9) Chief Director (Training)

1.	Name of post	Chief Director (Training)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-13 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-4: Rs.37400-67000/- with Grade Pay Rs.8700/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable

7.	Maximum age limit for direct recruitment	50 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/ Executive MBA /Post Graduate Diploma (2-years duration) in Cooperative Management/ Cooperative Development/ Rural Development/ Agri-Business/ Human Resources or other such fields as are covered by the Corporation's mandate.</p> <p>Experience: 15 years' of experience in cooperative sector of which 10 years' experience in designing and/or conducting the training programmes or in Cooperation/ Administration/ Human Resource Development with minimum 5-years experience in Pay Level-12 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-12 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(10) Chief Director (Sugar)

1.	Name of post	Chief Director (Sugar)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-13 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-4: Rs.37400-67000/- with Grade Pay Rs.8700/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	50 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Masters degree/Post Graduate Diploma in Sugar Engineering/ Sugar Technology</p> <p>Experience</p>

		15 years' of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-12 of the pay matrix as per 7 th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.
		Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-12 of pay matrix as per 7 th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(11) Chief Director (Fisheries/Dairy/Poultry/Live Stock)

1.	Name of post	Chief Director (Fisheries/ Dairy/ Poultry/ Live Stock)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-13 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-4: Rs.37400-67000/- with Grade Pay Rs.8700/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	50 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: Bachelor's degree in Fisheries Science/ Dairy Science or Dairy Technology/ Veterinary Science & Animal Husbandry Experience 15 years' of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-12 of the pay matrix as per 7 th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc. Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.

9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-12 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(12) Chief Director (Textile/Storage/Cold Chain/Processing)

1.	Name of post	Chief Director (Textile/ Storage/ Cold Chain/ Processing)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-13 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-4: Rs.37400-67000/- with Grade Pay Rs.8700/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	50 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: Bachelor's degree in Textile Engineering/ Textile Technology/ Civil Engineering/ Electrical Engineering/ Agro-processing/ Food Processing/ Food Technology/ Refrigeration Experience: 15 years' of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-12 of the pay matrix as per 7 th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc. Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract

12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-12 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(13) Chief Director (Legal and Recovery)

1.	Name of post	Chief Director (Legal and Recovery)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-13 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-4: Rs.37400-67000/- with Grade Pay Rs.8700/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	50 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: LLB and enrolled as an Advocate with the Bar Council Experience 15 years' of experience in the areas of legal/ financial documentation, mortgages, guarantees, hypothecation, recovery suits/claims, SARFAESI Act, DRT etc. and matters relating to litigation on such subjects in different Courts of Law/Tribunals of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-12 of the pay matrix as per 7 th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc. Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-12 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the areas of legal/ financial documentation, mortgages, guarantees, hypothecation/ recovery suits/claims,

		SARFAESI Act, DRT etc. and matters relating to litigation on such subjects etc. in different Courts of Law/Tribunals.
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(14) Chief Director (P&A/HRD/Vigilance)

1.	Name of post	Chief Director (P&A/HRD/Vigilance)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-13 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-4: Rs.37400-67000/- with Grade Pay Rs.8700/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	50 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p><u>Essential for DR/Contract:</u> Master's Degree/ Executive MBA/ Post Graduate Diploma (2-years duration) in Human Resources</p> <p><u>Experience</u> 15 years of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-12 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p><u>Preferred:</u> Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p><u>Deputation:</u> Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-12 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)

14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable
-----	--	----------------

(15) Chief Director (General Administration-Civil/Electrical/Store and Procurement)

1.	Name of post	Chief Director (General Administration-Civil/Electrical/Store and Procurement)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-13 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-4: Rs.37400-67000/- with Grade Pay Rs.8700/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	50 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract:</p> <p>Bachelor's Degree in Civil Engineering/ Electrical Engineering/ Materials Management/ Logistics Management or equivalent</p> <p>Experience</p> <p>15 years of experience in the relevant field of which minimum 5 years experience must be in Pay Level-12 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred:</p> <p>Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Deputation:</p> <p>Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-12 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(16) Chief Director (MIS)

1.	Name of post	Chief Director (MIS)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-13 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-4: Rs.37400-67000/- with Grade Pay Rs.8700/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	50 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract:</p> <p>B.Tech in Computer Science/ Information Technology or MCA</p> <p>Experience 15 years' of experience in the areas of Security/ Analytics/ Database Administration/ Software Development/ Networking/ Server Management/ Database Analysis etc. of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-12 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Deputation:</p> <p>Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-12 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the areas of Security/ Analytics/ Database Administration/ Software Development/ Networking/ Server Management/ Database Analysis etc.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(17) Chief Director (Corporate Communication/ International Cooperation)

1.	Name of post	Chief Director (Corporate Communication/ International Cooperation)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-13 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-4: Rs.37400-67000/- with Grade Pay Rs.8700/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	50 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract:</p> <p>Master's Degree/ Executive MBA/ Post Graduate Diploma (2-years duration) in International Business/ Business Administration/ Public Relations/ Media Management/ Mass Communications/ Journalism/ Mass Multimedia & Communications</p> <p>Experience: 15 years of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-12 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Deputation:</p> <p>Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-12 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(18) Director (Finance)

1.	Name of post	Director (Finance)
2.	Number of post	* -
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-12 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.7600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	45 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Chartered Accountant/ Cost and Management Accountant</p> <p>Experience: 12 years' of experience in finance, accounts, costing, taxation, risk assessment, audit, resource management, project appraisal, financing, monitoring, evaluation and allied functions of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-11 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: i. CFA/FRM/PRM/CS ii. Experience in Cooperative Banking is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Functional upgradation, failing which by direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Functional upgradation: Finance cadre officers holding the post of Deputy Director with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-11 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in finance, accounts, costing, taxation, risk assessment, audit, resource management, project appraisal, financing, monitoring, evaluation and allied functions.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

* Functional Upgradation: Finance cadre officer holding the post of Deputy Director with 5 years' service in the grade shall be functionally upgraded to the post of Director (Finance) in the pay level-12 of the pay matrix as per 7th CPC subject to being found fit by the DPC.

(19) Director (General Management)

1.	Name of post	Director (General Management)
2.	Number of post	—*
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-12 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.7600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	45 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/Executive MBA/ Post Graduate Diploma (2-years' duration) in Cooperative Management/ Cooperative Development/ Agri-Business/ Rural Development or other such fields as are covered by the Corporation's mandate.</p> <p>Experience: 12 years' of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-11 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Functional upgradation, failing which by direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Functional Upgradation: Deputy Director with 5 years' service in the grade.</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-11 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

* Functional Upgradation: Deputy Director with 5 years' service in the grade shall be functionally upgraded to the post of Director (General Management) in the pay level-12 of the pay matrix as per 7th CPC subject to being found fit by the DPC.

(20) Director (Cooperative Development)

1.	Name of post	Director (Cooperative Development)
2.	Number of post	—*
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-12 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.7600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	45 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/ Executive MBA/ Post Graduate Diploma (2-years duration) in Cooperative Management/ Cooperative Development or other such fields as are covered by the Corporation's mandate</p> <p>Experience: 12 years' of experience in the relevant field with of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-11 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Functional upgradation, failing which by direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Functional Upgradation: Deputy Director with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-11 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

* Functional Upgradation: Deputy Director with 5 years' service in the grade shall be functionally upgraded to the post of Director (Cooperative Development) in the pay level-12 of the pay matrix as per 7th CPC subject to being found fit by the DPC.

(21) Director (Marketing Management)

1.	Name of post	Director (Marketing Management)
2.	Number of post	—*
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-12 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.7600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	45 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/ Executive MBA/ Post Graduate Diploma (2-years duration) in Marketing</p> <p>Experience: 12 years' of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-11 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Functional upgradation, failing which by direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Functional Upgradation: Deputy Director (Marketing Management) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-11 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

* Functional Upgradation: Deputy Director (Marketing Management) with 5 years' service in the grade shall be functionally upgraded to the post of Director (Marketing Management) in the pay level-12 of the pay matrix as per 7th CPC subject to being found fit by the DPC.

(22) Director (Training)

1.	Name of post	Director (Training)
2.	Number of post	—*
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-12 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.7600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	45 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/ Executive MBA /Post Graduate Diploma (2-years duration) in Cooperative Management/ Cooperative Development/ Rural Development/ Agri-Business/ Human Resources or other such fields as are covered by the Corporation's mandate</p> <p>Experience: 12 years' of experience in cooperative sector of which 8 years' of experience in designing and/or conducting the training programmes or in cooperation/ administration/ human resource development with minimum 5-years experience in Pay Level-11 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Functional upgradation, failing which by direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Functional Upgradation: Deputy Director (Training) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-11 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the executive position in designing and/or conducting the training programmes or in cooperation/ administration/ human resource development</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

* Functional Upgradation: Deputy Director (Training) with 5 years' service in the grade shall be functionally upgraded to the post of Director (Training) in the pay level-12 of the pay matrix as per 7th CPC subject to being found fit by the DPC.

(23) Director (Sugar)

1.	Name of post	Director (Sugar)
2.	Number of post	-*
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-12 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.7600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	45 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/ Post Graduate Diploma in Sugar Engineering/ Sugar Technology</p> <p>Experience: 12 years' of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-11 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Functional upgradation, failing which by direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Functional Upgradation: Deputy Director (Sugar) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-11 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

* Functional Upgradation: Deputy Director (Sugar) with 5 years' service in the grade shall be functionally upgraded to the post of Director (Sugar) in the pay level-12 of the pay matrix as per 7th CPC subject to being found fit by the DPC.

(24) Director (Fisheries)

1.	Name of post	Director (Fisheries)
2.	Number of post	—*
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-12 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.7600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	45 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Fisheries Science</p> <p>Experience 12 years' of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-11 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Functional upgradation, failing which by direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Functional Upgradation: Deputy Director (Fisheries) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-11 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

* Functional Upgradation: Deputy Director (Fisheries) with 5 years' service in the grade shall be functionally upgraded to the post of Director (Fisheries) in the pay level-12 of the pay matrix as per 7th CPC subject to being found fit by the DPC.

(25) Director (Dairy/ Poultry/ Live Stock)

1.	Name of post	Director (Dairy/ Poultry/ Live Stock)
2.	Number of post	—*
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-12 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.7600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	45 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Dairy Science or Dairy Technology/ Veterinary Science & Animal Husbandry</p> <p>Experience: 12 years' of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-11 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Functional upgradation, failing which by direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Functional Upgradation: Deputy Director (Dairy/ Poultry/ Live Stock) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-11 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

* Functional Upgradation: Deputy Director (Dairy/ Poultry/ Live Stock) with 5 years' service in the grade shall be functionally upgraded to the post of Director (Dairy/ Poultry/ Live Stock) in the pay level-12 of the pay matrix as per 7th CPC subject to being found fit by the DPC.

(26) Director (Textile)

1.	Name of post	Director (Textile)
2.	Number of post	—*
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-12 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.7600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	45 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's degree in Textile Engineering/Technology</p> <p>Experience: 12 years' of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-11 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Functional upgradation, failing which by direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Functional Upgradation: Deputy Director (Textile) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-11 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

* Functional Upgradation: Deputy Director (Textile) with 5 years' service in the grade shall be functionally upgraded to the post of Director (Textile) in the pay level-12 of the pay matrix as per 7th CPC subject to being found fit by the DPC.

(27) Director (Storage/Cold Chain and Processing)

1.	Name of post	Director (Storage/Cold Chain and Processing)
2.	Number of post	—*
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-12 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.7600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	45 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Civil/Electrical Engineering/ Agro-processing/ Food Processing/ Food Technology/ Refrigeration</p> <p>Experience: 12 years' of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-11 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Functional upgradation, failing which by direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Functional Upgradation: Deputy Director (Storage/Cold Chain and Processing) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-11 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

* Functional Upgradation: Deputy Director (Storage/Cold Chain and Processing) with 5 years' service in the grade shall be functionally upgraded to the post of Director (Storage/Cold Chain and Processing) in the pay level-12 of the pay matrix as per 7th CPC subject to being found fit by the DPC.

(28) Director (Legal)

1.	Name of post	Director (Legal)
2.	Number of post	—*
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-12 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.7600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	45 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: LLB and enrolled as an Advocate with the Bar Council</p> <p>Experience 12 years' of experience in the areas of legal/ financial documentation, mortgages, guarantees, hypothecation etc. and matters relating to litigation in different Courts of Law/Tribunals of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-11 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Functional upgradation, failing which by direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Functional Upgradation: Deputy Director (Legal) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-11 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the areas of legal/ financial documentation, mortgages, guarantees, hypothecation etc. and matters relating to litigation in different Courts of Law/Tribunals</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

* Functional Upgradation: Deputy Director (Legal) with 5 years' service in the grade shall be functionally upgraded to the post of Director (Legal) in the pay level-12 of the pay matrix as per 7th CPC subject to being found fit by the DPC.

(29) Director (Recovery)

1.	Name of post	Director (Recovery)
2.	Number of post	—*
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-12 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.7600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	45 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: LLB and enrolled as an Advocate with the Bar Council</p> <p>Experience: 12 years' of experience in the areas of recovery suits/claims, SARFAESI Act, DRT etc. and matters relating to litigation on such subjects in different Courts of Law/Tribunals of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-11 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Functional upgradation, failing which by direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Functional Upgradation: Deputy Director (Recovery) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-11 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the areas of recovery suits/claims, SARFAESI Act, DRT etc. and matters relating to litigation on such subjects in different Courts of Law/Tribunals.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes

		(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

* Functional Upgradation: Deputy Director (Recovery) with 5 years' service in the grade shall be functionally upgraded to the post of Director (Recovery) in the pay level-12 of the pay matrix as per 7th CPC subject to being found fit by the DPC.

(30) Director (P&A/HRD/Vigilance)

1.	Name of post	Director (P&A/HRD/Vigilance)
2.	Number of post	—*
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-12 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.7600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	45 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/ Executive MBA/ Post Graduate Diploma (2-years duration) in Human Resources</p> <p>Experience 12 years of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-11 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotedes	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Functional upgradation, failing which by direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Functional Upgradation: Deputy Director (P&A/HRD/Vigilance) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-11 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity, in the relevant field.</p>

13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

* Functional Upgradation: Deputy Director (P&A/HRD/Vigilance) with 5 years' service in the grade shall be functionally upgraded to the post of Director (P&A/HRD/Vigilance) in the pay level-12 of the pay matrix as per 7th CPC subject to being found fit by the DPC.

(31) Director (General Administration-Civil, Electrical & Store and Procurement)

1.	Name of post	Director (General Administration-Civil, Electrical & Store and Procurement)
2.	Number of post	—*
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-12 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.7600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	45 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Civil Engineering/ Electrical Engineering/ Materials Management/ Logistics Management or equivalent</p> <p>Experience: 12 years of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-11 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Functional upgradation, failing which by direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Functional Upgradation: Deputy Director (General Administration-Civil, Electrical & Store and Procurement) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years'</p>

		service in posts carrying Level-11 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity, in the relevant field.
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

* Functional Upgradation: Deputy Director (General Administration-Civil, Electrical & Store and Procurement) with 5 years' service in the grade shall be functionally upgraded to the post of Director (General Administration-Civil, Electrical & Store and Procurement) in the pay level-12 of the pay matrix as per 7th CPC subject to being found fit by the DPC.

(32) Director (MIS)

1.	Name of post	Director (MIS)
2.	Number of post	-*
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-12 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.7600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	45 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract:</p> <p>B.Tech. in Computer Science/ Information Technology or MCA</p> <p>Experience 12 years' of experience in the areas of Security/ Analytics/ Database Administration/ Software Development/ Networking/ Server Management/ Database Analysis etc. of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-11 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Functional upgradation, failing which by direct recruitment/ deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Functional Upgradation: Deputy Director (MIS) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation:</p>

		Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-11 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the areas the areas Security/ Analytics/ Database Administration/ Software Development/ Networking/ Server Management/ Database Analysis etc.
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

*Functional Upgradation: Deputy Director (MIS) with 5 years' service in the grade shall be functionally upgraded to the post of Director (MIS) in the pay level-12 of the pay matrix as per 7th CPC subject to being found fit by the DPC.

(33) Director (Corporate Communication/ International Cooperation)

1.	Name of post	Director (Corporate Communication/ International Cooperation)
2.	Number of post	—*
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-12 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.7600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	45 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract:</p> <p>Master's Degree/ Executive MBA/ Post Graduate Diploma (2-years duration) in International Business/ Business Administration/ Public Relations/ Media Management/ Mass Communications/ Journalism/ Mass Multimedia & Communications</p> <p>Experience:</p> <p>12 years of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-11 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Functional upgradation, failing which by direct recruitment/ deputation/ contract

12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Functional Upgradation: Deputy Director (Corporate Communication/ International Cooperation) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-11 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

*Functional Upgradation: Deputy Director (Corporate Communication/ International Cooperation) with 5 years' service in the grade shall be functionally upgraded to the post of Director (Corporate Communication/ International Cooperation) in the pay level-12 of the pay matrix as per 7th CPC subject to being found fit by the DPC.

(34) Deputy Director (Finance)

1.	Name of post	Deputy Director (Finance)
2.	Number of post	10
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-11 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.6600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	40 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Chartered Accountant/ Cost and Management Accountant.</p> <p>Experience: 10 years of experience in finance, accounts, costing, taxation, risk assessment, audit, resource management, project appraisal, financing, monitoring, evaluation and allied function of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-10 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred:</p> <ol style="list-style-type: none"> CFA/FRM/PRM/CS Experience in Cooperative Banking is preferable.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	<ol style="list-style-type: none"> 7 (70%) by direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules. 3 (30%) by promotion through Limited Departmental Examination (LDE)

12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Finance cadre officer holding the post of Assistant Director with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-10 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in finance, accounts, costing, taxation, risk assessment, audit, resource management, project appraisal, financing, monitoring, evaluation and allied functions.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(35) Deputy Director (General Management)

1.	Name of post	Deputy Director (General Management)
2.	Number of post	26
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-11 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.6600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	40 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/Executive MBA/ Post Graduate Diploma (2-years' duration) in Cooperative Management/ Cooperative Development/ Agri-Business/ Rural Development or other such fields as are covered by the Corporation's mandate.</p> <p>Experience: 10 years of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-10 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	i. 18 (70%) by direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules ii. 8 (30%) by promotion through Limited Departmental Examination (LDE)

12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Assistant Director with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-10 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(36) Deputy Director (Cooperative Development)

1.	Name of post	Deputy Director (Cooperative Development)
2.	Number of post	26
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-11 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.6600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	40 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/ Executive MBA/ Post Graduate Diploma (2-years duration) in Cooperative Management/ Cooperative Development or other such fields as are covered by the Corporation's mandate</p> <p>Experience: 10 years' of experience in relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-10 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	i. 18 (70%) by direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules ii. 8 (30%) by promotion through Limited Departmental Examination (LDE)
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Assistant Director with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial</p>

		Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-10 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in relevant field.
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(37) Deputy Director (Marketing Management)

1.	Name of post	Deputy Director (Marketing Management)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-11 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.6600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	40 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/Executive MBA/Post Graduate Diploma (2-years duration) in Marketing</p> <p>Experience: 10 years' of experience in relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-10 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/deputation/contract/campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Assistant Director (Marketing Management) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-10 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)

14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable
-----	--	----------------

(38) Deputy Director (Training)

1.	Name of post	Deputy Director (Training)
2.	Number of post	2
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-11 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.6600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	40 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/ Executive MBA /Post Graduate Diploma (2-years duration) in Cooperative Management/ Cooperative Development/ Rural Development/ Agri-Business/ Human Resources or other such fields as are covered by the Corporation's mandate.</p> <p>Experience: 10 years' of experience in cooperative sector of which 6 years of experience in designing and/ or conducting the training programmes or in cooperation/ administration/ human resource development of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-10 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Assistant Director (Training) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-10 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity of designing and/ or conducting the training programmes or in cooperation/administration/human resource development</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)

14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable
-----	--	----------------

(39) Deputy Director (Sugar)

1.	Name of post	Deputy Director (Sugar)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-11 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.6600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	40 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Masters degree /Post Graduate Diploma in Sugar Engineering/ Sugar Technology</p> <p>Experience 10 years' of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-10 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Assistant Director (Sugar) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-10 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(40) Deputy Director (Fisheries)

1.	Name of post	Deputy Director (Fisheries)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-11 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.6600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	40 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's degree in Fisheries Science</p> <p>Experience 10 years' of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-10 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/deputation/contract/campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Assistant Director (Fisheries) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-10 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(41) Deputy Director (Dairy, Poultry and Live Stock)

1.	Name of post	Deputy Director (Dairy, Poultry and Live Stock)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A

4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-11 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.6600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	40 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract:</p> <p>Bachelor's degree in Dairy Science/ Dairy Technology/ Veterinary Science & Animal Husbandry</p> <p>Experience:</p> <p>10 years' of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-10 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred:</p> <p>Experience in Cooperative Organization is preferable</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE):</p> <p>Assistant Director (Dairy, Poultry and Live Stock) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-10 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(42) Deputy Director (Textile)

1.	Name of post	Deputy Director (Textile)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-11 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.6600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable

7.	Maximum age limit for direct recruitment	40 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's degree in Textile Engineering/ Technology</p> <p>Experience: 10 years' of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-10 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/deputation/contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Assistant Director (Textile) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-10 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(43) Deputy Director (Storage/Cold Chain and Processing)

1.	Name of post	Deputy Director (Storage/ Cold Chain and Processing)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-11 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.6600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	40 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Civil/Electrical Engineering/ Agro-processing/ Food Processing/ Food Technology/ Refrigeration</p>

		Experience: 10 years' of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.
		Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Promotion (LDE): Assistant Director (Storage/Cold Chain and Processing) with 5 years' service in the grade Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-10 of pay matrix as per 7 th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(44) Deputy Director (Legal)

1.	Name of post	Deputy Director (Legal)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-11 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.6600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	40 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: LLB and enrolled as an Advocate with the Bar Council Experience 10 years' of experience in the areas of legal/ financial documentation, mortgages, guarantees, hypothecation etc. and matters relating to litigation in different Courts of Law/Tribunals of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale

		prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.
		Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Assistant Director (Legal) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-10 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the areas of legal/ financial documentation, mortgages, guarantees, hypothecation etc. and matters relating to litigation in different Courts of Law/Tribunals.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(45) Deputy Director (Recovery)

1.	Name of post	Deputy Director (Recovery)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-11 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.6600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	40 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: LLB and enrolled as an Advocate with the Bar Council</p> <p>Experience 10 years' of experience in the areas of recovery suits/claims, SARFAESI Act, DRT etc. and matters relating to litigation on such subjects in different Courts of Law/Tribunals of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-10 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable</p>

9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Assistant Director (Recovery) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-10 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the areas of recovery suits/claims, SARFAESI Act, DRT etc. and matters relating to litigation on such subjects in different Courts of Law/Tribunals.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(46) Deputy Director (P&A/HRD/Vigilance)

1.	Name of post	Deputy Director (P&A/HRD/Vigilance)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-11 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.6600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	40 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/ Executive MBA/ Post Graduate Diploma (2-years duration) in Human Resources</p> <p>Experience: 10 years of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in 5-years in Pay Level-10 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment

11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Assistant Director (P&A/HRD/Vigilance) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-10 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(47) Deputy Director (General Administration-Civil, Electrical & Store and Procurement)

1.	Name of post	Deputy Director (General Administration - Civil, Electrical & Store and Procurement)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-11 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.6600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	40 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Civil Engineering/ Electrical Engineering/ Materials Management/ Logistics Management or equivalent</p> <p>Experience 10 years of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-10 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules

12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Assistant Director (General Administration-Civil/Electrical/ Store and Procurement) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-10 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(48) Deputy Director (MIS)

1.	Name of post	Deputy Director (MIS)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-11 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.6600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	40 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: B.Tech in Computer Science/ Information Technology or MCA.</p> <p>Experience 10 years' of experience in the areas of Security/ Analytics/ Database Administration/ Software Development/ Networking/ Server Management/ Database Analysis etc. of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-10 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules

12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Assistant Director (MIS) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-10 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the areas the areas Security/ Analytics/ Database Administration/ Software Development/ Networking/ Server Management/ Database Analysis etc.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(49) Deputy Director (Corporate Communication/ International Cooperation)

1.	Name of post	Deputy Director (Corporate Communication/ International Cooperation)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-11 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.6600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	40 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/ Executive MBA/ Post Graduate Diploma (2-years duration) in International Business/ Public Relations/ Media Management/ Mass Communications/ Journalism/ Mass Multimedia & Communications</p> <p>Experience: 10 years' of experience in the relevant field of which minimum 5-years experience must be in Pay Level-10 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Assistant Director (Corporate Communication/ International Cooperation) with 5 years' service in the grade</p>

		Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-10 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in executive capacity in the relevant field.
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(50) Assistant Director (Finance)

1.	Name of post	Assistant Director (Finance)
2.	Number of post	10
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	38 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Chartered Accountant/ Cost and Management Accountant</p> <p>Experience: 5 years' of experience in finance, accounts, costing, taxation, risk assessment, audit, resource management, project appraisal, financing, monitoring, evaluation and allied functions in Pay Level-7 or above of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. CFA/FRM/PRM/CS ii. Experience in Cooperative Banking is preferable.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years for both direct recruits and promotees
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	<ul style="list-style-type: none"> i. 7 (70%) by promotion through Limited Departmental Examination (LDE) ii. 3 (30%) by direct recruitment/deputation/contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Finance cadre officer holding the post of Programme Officer (Finance) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-7 of pay matrix as per 7th</p>

		CPC or equivalent, having experience in supervisory capacity in finance, accounts, costing, taxation, risk assessment, audit, resource management, project appraisal, financing, monitoring, evaluation and allied functions.
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(51) Assistant Director (General Management)

1.	Name of post	Assistant Director (General Management)
2.	Number of post	31
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	38 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/Executive MBA/ Post Graduate Diploma (2-years' duration) in Cooperative Management/ Cooperative Development/ Agri-Business/ Rural Development or other such fields as are covered by the Corporation's mandate.</p> <p>Experience: 5 years' of experience in the relevant field in Pay Level-7 or above of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years for both direct recruits and promotees
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	i. 23 (75%) by promotion through Limited Departmental Examination (LDE) ii. 8 (25%) by direct recruitment/deputation/contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Programme Officer with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-7 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in supervisory capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes

		(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(52) Assistant Director (Cooperative Development)

1.	Name of post	Assistant Director (Cooperative Development)
2.	Number of post	31
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	38 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/Executive MBA/Post Graduate Diploma (2-years duration) in Cooperative Management/ Cooperative Development or other such fields as are covered by the Corporation's mandate</p> <p>Experience: 5 years' of experience in the relevant field in Pay Level-7 or above of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years for both direct recruits and promotees
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	i. 23 (75%) by promotion through Limited Departmental Examination (LDE) ii. 8 (25%) by direct recruitment/deputation/contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Programme Officer with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-7 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in supervisory capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(53) Assistant Director (Marketing Management)

1.	Name of post	Assistant Director (Marketing Management)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	38 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/ Executive MBA/ Post Graduate Diploma (2-years duration) in Marketing</p> <p>Experience: 5 years' of experience in the relevant field in Pay Level-7 or above of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years for both direct recruits and promotees
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Programme Officer (Marketing Management) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-7 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in supervisory capacity in the relevant field</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(54) Assistant Director (Training)

1.	Name of post	Assistant Director (Training)
2.	Number of post	2
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection

6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	38 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/ Executive MBA /Post Graduate Diploma (2-years duration) in Cooperative Management/ Cooperative Development/ Rural Development/ Agri-Business/ Human Resources or other such fields as are covered by the Corporation's mandate</p> <p>Experience: 5 years' of experience in designing and/ or conducting training programmes or in cooperation/ administration/ human resource development in Pay Level-7 or above of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years for both direct recruits and promotees
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Programme Officer (Training) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-7 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in supervisory capacity in designing and/ or conducting training programmes or in cooperation/ administration/ human resource development</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(55) Assistant Director (Sugar)

1.	Name of post	Assistant Director (Sugar)
2.	Number of post	2
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection

6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	38 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Masters degree /Post Graduate Diploma in Sugar Engineering/ Sugar Technology.</p> <p>Experience 5 years' of experience in the relevant field in Pay Level-7 or above of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years for both direct recruits and promotees
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Programme Officer (Sugar) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-7 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in supervisory capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(56) Assistant Director (Fisheries)

1.	Name of post	Assistant Director (Fisheries)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	38 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's degree in Fisheries Science</p> <p>Experience 5 years' of experience in the relevant field in Pay Level-7 or above of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For</p>

		candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.
		Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years for both direct recruits and promotees
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Promotion (LDE): Programme Officer (Fisheries) with 5 years' service in the grade Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-7 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in supervisory capacity in the relevant field.
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(57) Assistant Director (Dairy)

1.	Name of post	Assistant Director (Dairy)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	38 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: Bachelor's degree in Dairy Science/ Dairy Technology Experience: 5 years' of experience in the relevant field in Pay Level-7 or above of the pay matrix as per 7 th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc. Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No

10.	Period of probation, if any	2 years for both direct recruits and promotees
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Programme Officer (Dairy) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-7 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in supervisory capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(58) Assistant Director (Poultry and Live Stock)

1.	Name of post	Assistant Director (Poultry and Live Stock)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	38 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Veterinary Science & Animal Husbandry</p> <p>Experience: 5 years' of experience in the relevant field in Pay Level-7 or above of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years for both direct recruits and promotees
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Programme Officer (Poultry and Live Stock) with 5 years' service in the grade</p>

		Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-7 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in supervisory capacity in the relevant field.
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(59) Assistant Director (Textile)

1.	Name of post	Assistant Director (Textile)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	38 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's degree in Textile Engineering/Technology</p> <p>Experience: 5 years' of experience in the relevant field in Pay Level-7 or above of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years for both direct recruits and promotees
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Programme Officer (Textile) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-7 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in supervisory capacity in the relevant field.</p>

13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(60) Assistant Director (Storage/Cold Chain)

1.	Name of post	Assistant Director (Storage/ Cold Chain)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	38 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Civil/Electrical Engineering</p> <p>Experience: 5 years' of experience in the relevant field in Pay Level-7 or above of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years for both direct recruits and promotees
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Programme Officer (Storage/Cold Chain) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-7 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in supervisory capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(61) Assistant Director (Processing)

1.	Name of post	Assistant Director (Processing)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	38 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Agro-processing/ Food Processing/ Food Technology/ Refrigeration</p> <p>Experience: 5 years' of experience in the relevant field in Pay Level-7 or above of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years for both direct recruits and promotees
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Programme Officer (Processing) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-7 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in supervisory capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(62) Assistant Director (Legal)

1.	Name of post	Assistant Director (Legal)
2.	Number of post	2
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection

6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	38 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract:</p> <p>LLB and enrolled as an Advocate with the Bar Council</p> <p>Experience</p> <p>5 years' of experience in the areas of legal/ financial documentation, mortgages, guarantees, hypothecation etc. and matters relating to litigation in different Courts of Law/Tribunals in Pay Level-7 or above of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred:</p> <p>Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years for both direct recruits and promotees
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE):</p> <p>Programme Officer (Legal) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-7 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in supervisory capacity in the areas of legal/ financial documentation, mortgages, guarantees, hypothecation etc. and matters relating to litigation in different Courts of Law/Tribunals.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(63) Assistant Director (Recovery)

1.	Name of post	Assistant Director (Recovery)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A

4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	38 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract:</p> <p>LLB and enrolled as an Advocate with the Bar Council</p> <p>Experience 5 years' of experience in supervisory capacity in the areas of recovery suits/claims, SARFAESI Act, DRT etc. and matters relating to litigation on such subjects in different Courts of Law/Tribunals in Pay Level-7 or above of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years for both direct recruits and promotees
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Programme Officer (Recovery) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-7 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in supervisory capacity in the areas of recovery suits/claims, SARFAESI Act, DRT etc. and matters relating to litigation on such subjects in different Courts of Law/Tribunals.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(64) Assistant Director (P&A/HRD/Vigilance)

1.	Name of post	Assistant Director (P&A/HRD/Vigilance)
2.	Number of post	2
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	38 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract:</p> <p>Master's degree/ Executive MBA/ Post Graduate Diploma (2 years duration) in Human Resources</p> <p>Experience 5 years of experience in the relevant field in Pay Level-7 or above of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotedes	No
10.	Period of probation, if any	2 years for both direct recruits and promotedes
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Programme Officer (P&A/HRD/Vigilance) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-7 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in supervisory capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(65) Assistant Director (General Administration-Civil)

1.	Name of post	Assistant Director (General Administration-Civil)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	38 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Civil Engineering</p> <p>Experience: 5 years of experience in the relevant field in Pay Level-7 or above of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years for both direct recruits and promotees
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Programme Officer (General Administration-Civil) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institution etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-7 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in supervisory capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(66) Assistant Director (General Administration-Electrical)

1.	Name of post	Assistant Director (General Administration-Electrical)
2.	Number of post	1

3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	38 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract:</p> <p>Bachelor's Degree in Electrical Engineering</p> <p>Experience:</p> <p>5 years of experience in the relevant field in Pay Level-7 or above of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred:</p> <p>Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years for both direct recruits and promotees
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE):</p> <p>Programme Officer (General Administration-Electrical) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-7 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in supervisory capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(67) Assistant Director (General Administration – Store & Procurement)

1.	Name of post	Assistant Director (General Administration – Store & Procurement)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A

4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	38 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract:</p> <p>Bachelor's degree in Materials Management/ Logistics Management or equivalent</p> <p>Experience:</p> <p>5 years of experience in the relevant field in Pay Level-7 or above of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred:</p> <p>Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years for both direct recruits and promotees
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE):</p> <p>Programme Officer (General Administration-Store & Procurement) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-7 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in supervisory capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(68) Assistant Director (MIS)

1.	Name of post	Assistant Director (MIS)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/-)

5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	38 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract:</p> <p>B.Tech. in Computer Science/ Information Technology or MCA</p> <p>Experience 5 years' of experience in the areas of Security/ Analytics/ Database Administration/ Application Development/ Networking/ Server Management/ Database Analysis etc in Pay Level-7 or above of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years for both direct recruits and promotees
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Programme Officer (MIS) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-7 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in supervisory capacity in the areas of Security/ Analytics/ Database Administration/ Application Development/ Networking/ Server Management/ Database Analysis etc.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(69) Assistant Director (Corporate Communication/ International Cooperation)

1.	Name of post	Assistant Director (Corporate Communication/ International Cooperation)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A

4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	38 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract:</p> <p>Master's Degree/ Executive MBA/ Post Graduate Diploma (2-years duration) in International Business/ Business Administration/ Public Relations/ Media Management/ Mass Communications/ Journalism/ Mass Multimedia & Communications</p> <p>Experience</p> <p>5 years' of experience in relevant field in Pay Level-7 or above of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred:</p> <p>Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years for both direct recruits and promotees
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE):</p> <p>Programme Officer (Corporate Communication/ International Cooperation) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-7 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in supervisory capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(70) Assistant Director (Rajbhasha)

1.	Name of post	Assistant Director (Rajbhasha)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A

4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	38 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract:</p> <p>Master's Degree in Hindi with English as a subject at degree level</p> <p>Experience</p> <p>5 years' of experience in terminology work in Hindi and translation work from English to Hindi and vice-versa in Pay Level-7 or above of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred:</p> <p>Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years for both direct recruits and promotees
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE):</p> <p>Programme Officer (Rajbhasha) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-7 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in supervisory capacity, in terminology work in Hindi and translation work from English to Hindi and vice-versa.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(71) Assistant Director (Library)

1.	Name of post	Assistant Director (Library)
2.	Number of post	1
3.	Classification	A

4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-3: Rs.15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	38 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract:</p> <p>Master's Degree in Library Science</p> <p>Experience 5 years of experience in the relevant field in Pay Level-7 or above of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p> <p>Preferred: Experience in Cooperative Organization is preferable.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years for both direct recruits and promotees
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Programme Officer (Library) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-7 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in supervisory capacity in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(72) Programme Officer (Finance)

1.	Name of post	Programme Officer (Finance)
2.	Number of post	20
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection

6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	35 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: Chartered Accountant/ Cost and Management Accountant
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-6 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in finance, accounts, costing, taxation, risk assessment, audit, resource management, project appraisal, financing, monitoring, evaluation and allied functions
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(73) Programme Officer (General Management)

1.	Name of post	Programme Officer (General Management)
2.	Number of post	31
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	35 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: Master's Degree/Executive MBA/ Post Graduate Diploma (2-years' duration) in Cooperative Management/ Cooperative Development/ Agri-Business/ Rural Development or other such fields as are covered by the Corporation's mandate. Experience: 2 years experience in the relevant field in Pay Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment

11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	i. 23 (75%) by promotion through Limited Departmental Examination (LDE) ii. 8 (25%) by direct recruitment/deputation/contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Promotion (LDE): Executive Assistant with 5 years' service in the grade Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-6 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(74) Programme Officer (Cooperative Development)

1.	Name of post	Programme Officer (Cooperative Development)
2.	Number of post	31
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	35 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: Master's Degree/Executive MBA/Post Graduate Diploma (2-years duration) in Cooperative Management/ Cooperative Development or other such fields as are covered by the Corporation's mandate Experience: 2 years experience in the relevant field in Pay Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	i. 24 (78%) by promotion through Limited Departmental Examination (LDE) ii. 7 (22%) by direct recruitment/deputation/contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Promotion (LDE): Executive Assistant with 5 years' service in the grade Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized

		Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-6 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(75) Programme Officer (Marketing Management)

1.	Name of post	Programme Officer (Marketing Management)
2.	Number of post	6
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	35 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/ Post Graduate Diploma (2-years duration) in Marketing</p> <p>Experience: 2 years experience in the relevant field in Pay Level-6 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotedes	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Executive Assistant (Marketing Management) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-6 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(76) Programme Officer (Training)

1.	Name of post	Programme Officer (Training)
2.	Number of post	3
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	35 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/ Executive MBA /Post Graduate Diploma (2-years duration) in Cooperative Management/ Cooperative Development/ Rural Development/ Agri-Business/ Human Resources or other such fields as are covered by the Corporation's mandate.</p> <p>Experience: 2 years experience in designing and/or conducting the training programmes or in cooperation/ administration/ human resource development in Pay Level-6 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotedes	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Executive Assistant (Training) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-6 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in designing and/or conducting the training programmes or in cooperation/ administration/ human resource development</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(77) Programme Officer (Sugar)

1.	Name of post	Programme Officer (Sugar)
2.	Number of post	3
3.	Classification	B

4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	35 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Masters degree /Post Graduate Diploma in Sugar Engineering/ Sugar Technology</p> <p>Experience: 2 years experience in the relevant field in Pay Level-6 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Executive Assistant (Sugar) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-6 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(78) Programme Officer (Fisheries)

1.	Name of post	Programme Officer (Fisheries)
2.	Number of post	2
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	35 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Fisheries Science</p> <p>Experience: 2 years experience in the relevant field in Pay Level-6 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be</p>

		comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Executive Assistant (Fisheries) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-6 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(79) Programme Officer (Dairy)

1.	Name of post	Programme Officer (Dairy)
2.	Number of post	2
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	35 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Dairy Science or Dairy Technology.</p> <p>Experience: 2 years experience in the relevant field in Pay Level-6 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules

12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Executive Assistant (Dairy) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-6 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(80) Programme Officer (Poultry and Live Stock)

1.	Name of post	Programme Officer (Poultry and Live Stock)
2.	Number of post	1
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	35 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Veterinary Science & Animal Husbandry</p> <p>Experience: 2 years experience in the relevant field in Pay Level-6 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Executive Assistant (Poultry and Live Stock) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-6 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field</p>

13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(81) Programme Officer (Textile)

1.	Name of post	Programme Officer (Textile)
2.	Number of post	2
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	35 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Textile Engineering/ Technology</p> <p>Experience: 2 years experience in the relevant field in Pay Level-6 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Executive Assistant (Textile) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-6 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(82) Programme Officer (Storage/Cold Chain)

1.	Name of post	Programme Officer (Storage/Cold Chain)
2.	Number of post	1
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	35 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Civil/Electrical Engineering</p> <p>Experience: 2 years experience in the relevant field in Pay Level-6 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Executive Assistant (Storage/Cold Chain) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-6 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(83) Programme Officer (Processing)

1.	Name of post	Programme Officer (Processing)
2.	Number of post	1
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	35 Years

8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract:</p> <p>Bachelor's Degree in Agro-processing/ Food Processing/ Food Technology/ Refrigeration</p> <p>Experience:</p> <p>2 years experience in the relevant field in Pay Level-6 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE):</p> <p>Executive Assistant (Processing) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institution etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-6 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(84) Programme Officer (Legal)

1.	Name of post	Programme Officer (Legal)
2.	Number of post	2
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	35 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential</p> <p>LLB and enrolled as an Advocate with the Bar Council</p> <p>Experience:</p> <p>2 years' experience in the areas of legal/ financial documentation, mortgages, guarantees, hypothecation etc. and matters relating to litigation in different Courts of Law/Tribunals in Pay Level-6 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates</p>

		presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Executive Assistant (Legal) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-6 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the areas of legal/ financial documentation, mortgages, guarantees, hypothecation, recovery and matters relating to litigation in different Courts of Law/Tribunals</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(85) Programme Officer (Recovery)

1.	Name of post	Programme Officer (Recovery)
2.	Number of post	1
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	35 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential</p> <p>LLB and enrolled as an Advocate with the Bar Council</p> <p>Experience: 2 years experience in the areas of recovery suits/claims, SARFAESI Act, DRT etc. and matters relating to litigation on such subjects in different Courts of Law/Tribunals in Pay Level-6 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p>

9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Executive Assistant (Recovery) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-6 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the areas of recovery suits/claims, SARFAESI Act, DRT etc. and matters relating to litigation on such subjects in different Courts of Law/Tribunals</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(86) Programme Officer (P&A/HRD/Vigilance)

1.	Name of post	Programme Officer (P&A/HRD/Vigilance)
2.	Number of post	2
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	35 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's Degree/ Post Graduate Diploma (2-years duration) in Human Resources</p> <p>Experience: 2 years experience in the relevant field in Pay Level-6 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules

12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Executive Assistant (P&A/HRD/Vigilance) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-6 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(87) Programme Officer (General Administration-Civil)

1.	Name of post	Programme Officer (General Administration-Civil)
2.	Number of post	1
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	35 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Civil Engineering</p> <p>Experience 2 years experience in the relevant field in Pay Level-6 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Executive Assistant (General Administration-Civil) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-6 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field.</p>

13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(88) Programme Officer (General Administration-Electrical)

1.	Name of post	Programme Officer (General Administration-Electrical)
2.	Number of post	1
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	35 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Electrical Engineering</p> <p>Experience: 2 years experience in the relevant field in Pay Level-6 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Executive Assistant (General Administration-Electrical) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-6 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(89) Programme Officer (General Administration-Store & Procurement)

1.	Name of post	Programme Officer (General Administration-Store & Procurement)
2.	Number of post	1
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	35 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's degree in Materials Management/ Logistics Management or equivalent</p> <p>Experience: 2 years experience in the relevant field in Pay Level-6 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Executive Assistant (General Administration-Store & Procurement) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-6 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(90) Programme Officer (MIS)

1.	Name of post	Programme Officer (MIS)
2.	Number of post	2
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4600/-)

5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	35 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential</p> <p>B.Tech. in Computer Science/ Information Technology or MCA</p> <p>Experience: 2 years of experience in the areas of Security/ Analytics/ Database Administration/ Software Development/ Networking/ Server Management/ Database Analysis etc. in Pay Level-6 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Executive Assistant (MIS) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-6 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the areas the areas Security/ Analytics/ Database Administration/ Software Development/ Networking/ Server Management/ Database Analysis etc.</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(91) Programme Officer (Corporate Communication/ International Cooperation)

1.	Name of post	Programme Officer (Corporate Communication/ International Cooperation)
2.	Number of post	1
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection

6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	35 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract:</p> <p>Master's Degree/ Post Graduate Diploma (2-years duration) in International Business/ Business Administration/ Public Relations/ Media Management/ Mass Communications/ Journalism/ Mass Multimedia & Communications</p> <p>Experience:</p> <p>2 years experience as a Communication Professional having excellent track record of using tools and techniques to increase the visibility of the Organization, experience in working on diverse and wide-ranging communication strategies through all forms of media, content creation and having proficiency in Microsoft Office Packages, Adobe Illustrator, In-Design, Canva, Photoshop. Good knowledge of design softwares like In-Design, Illustrator, GIF creation software in Pay Level-6 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE):</p> <p>Executive Assistant (Corporate Communication/ International Cooperation) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-6 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(92) Programme Officer (Rajbhasha)

1.	Name of post	Programme Officer (Rajbhasha)
2.	Number of post	1
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	35 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract:</p> <p>Master's Degree in Hindi with English as a subject at degree level</p> <p>Experience</p> <p>2 years experience in terminology work in Hindi and translation work from English to Hindi and vice-versa in Pay Level-6 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE):</p> <p>Executive Assistant (Rajbhasha) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-6 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in terminology work in Hindi and translation work from English to Hindi and vice-versa</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(93) Programme Officer (Library)

1.	Name of post	Programme Officer (Library)
2.	Number of post	1
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-7 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4600/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	35 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Master's degree in Library Science</p> <p>Experience 2 years experience in relevant field in Pay Level-6 of the pay matrix as per 7th CPC or equivalent. For candidates presently working in private sector, the CTC should be comparable with the pay scale prescribed for the candidates working in Government/PSUs etc.</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion through Limited Departmental Examination (LDE), failing which by Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE): Executive Assistant (Library) with 5 years' service in the grade</p> <p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-6 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(94) Executive Assistant (Finance)

1.	Name of post	Executive Assistant (Finance)
2.	Number of post	—*
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection

6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: CA Intermediate/ ICWA Intermediate with 5 years' experience in the relevant field
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Functional upgradation, failing which by direct recruitment/deputation/ contract
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Functional Upgradation: Office Assistant (Finance) with 8 years' service in the grade Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-4 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

*Functional upgradation: Office Assistant (Finance) with 8 years' service in the grade shall be upgraded to the post of Executive Assistant (Finance) in the pay level-6 of the pay matrix as per 7th CPC, subject to being found fit by the DPC.

(95) Executive Assistant (General Management)

1.	Name of post	Executive Assistant (General Management)
2.	Number of post	31
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: Master's Degree/Executive MBA/ Post Graduate Diploma (2-years' duration) in Cooperative Management/ Cooperative Development/ Agri-Business/ Rural Development or other such fields as are covered by the Corporation's mandate.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by	i. Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of

	deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Recruitment Rules/ promotion through Limited Departmental Examination ii. On compassionate grounds as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Promotion (LDE): Office Assistant (General Management) with 8 years' service in the grade. Existing Junior Assistants who have joined the Corporation under DR quota before implementation of these recruitment rules will be eligible for consideration of promotion on completion of 5 years of service in the grade. Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-4 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(96) Executive Assistant (Cooperative Development)

1.	Name of post	Executive Assistant (Cooperative Development)
2.	Number of post	31
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: Master's Degree/ Post Graduate Diploma (2-years duration) Cooperative Management/ Cooperative Development or other such fields as are covered by the Corporation's mandate
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-4 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)

14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable
-----	--	----------------

(97) Executive Assistant (Marketing Management)

1.	Name of post	Executive Assistant (Marketing Management)
2.	Number of post	10
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: Master's Degree/ Post Graduate Diploma (2-years duration) in Marketing
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-4 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(98) Executive Assistant (Training)

1.	Name of post	Executive Assistant (Training)
2.	Number of post	5
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: Master's Degree/ Executive MBA /Post Graduate Diploma (2-years duration) in Cooperative Management/ Cooperative Development/ Rural Development/ Agri-Business/ Human Resources or other such fields as are covered by the Corporation's mandate.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No

10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-4 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(99) Executive Assistant (Sugar)

1.	Name of post	Executive Assistant (Sugar)
2.	Number of post	5
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: Masters degree /Post Graduate Diploma in Sugar Engineering/ Sugar Technology.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-4 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(100) Executive Assistant (Fisheries)

1.	Name of post	Executive Assistant (Fisheries)
2.	Number of post	4
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Fisheries Science
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-4 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(101) Executive Assistant (Dairy)

1.	Name of post	Executive Assistant (Dairy)
2.	Number of post	3
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Dairy Science/Dairy Technology
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules

	deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-4 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(102) Executive Assistant (Poultry and Live Stock)

1.	Name of post	Executive Assistant (Poultry and Live Stock)
2.	Number of post	2
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Veterinary Science & Animal Husbandry</p>
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-4 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field</p>
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(103) Executive Assistant (Textile)

1.	Name of post	Executive Assistant (Textile)
2.	Number of post	3
3.	Classification	B

4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Textile Engineering/ Technology
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-4 of pay matrix as per 7 th CPC or equivalent, having experience in the relevant field
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(104) Executive Assistant (Storage/Cold Chain)

1.	Name of post	Executive Assistant (Storage/Cold Chain)
2.	Number of post	2
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Civil/Electrical Engineering
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years'

		service in posts carrying Level-4 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(105) Executive Assistant (Processing)

1.	Name of post	Executive Assistant (Processing)
2.	Number of post	2
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Agro-Processing/ Food-Processing/ Food Technology/ Refrigeration
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-4 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(106) Executive Assistant (Legal)

1.	Name of post	Executive Assistant (Legal)
2.	Number of post	3
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30 Years

8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential</u> LLB and enrolled as an Advocate with the Bar Council
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<u>Deputation:</u> Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-4 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the areas of legal/ financial documentation, mortgages, guarantees, hypothecation and matters relating to litigation in different Courts of Law/Tribunals
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(107) Executive Assistant (Recovery)

1.	Name of post	Executive Assistant (Recovery)
2.	Number of post	2
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>Essential</u> LLB and enrolled as an Advocate with the Bar Council
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<u>Deputation:</u> Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-4 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the areas of recovery suits/claims, SARFAESI Act, DRT etc. and

		matters relating to litigation on such matters in different Courts of Law/Tribunals
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(108) Executive Assistant (P&A/HRD/Vigilance)

1.	Name of post	Executive Assistant (P&A/HRD/Vigilance)
2.	Number of post	3
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: Master's degree/ Executive MBA/ Post Graduate Diploma (2 years duration) in Human Resources
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-4 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field.
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(109) Executive Assistant (General Administration-Civil)

1.	Name of post	Executive Assistant (General Administration-Civil)
2.	Number of post	2
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30 Years

8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Civil Engineering
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-4 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field.
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(110) Executive Assistant (General Administration-Electrical)

1.	Name of post	Executive Assistant (General Administration-Electrical)
2.	Number of post	2
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: Bachelor's Degree in Electrical Engineering
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-4 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field.
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)

14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable
-----	--	----------------

(111) Executive Assistant (General Administration – Store & Procurement)

1.	Name of post	Executive Assistant (General Administration – Store & Procurement)
2.	Number of post	2
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: Bachelor's degree in Materials Management/ Logistics Management or equivalent
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotedees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-4 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field.
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(112) Executive Assistant (MIS)

1.	Name of post	Executive Assistant (MIS)
2.	Number of post	3
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential B.Tech in Computer Science/ Information Technology or MCA

9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-4 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the areas the areas Security/ Analytics/ Database Administration/ Software Development/ Networking/ Server Management/ Database Analysis etc.
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(113) Executive Assistant (Corporate Communication/ International Cooperation)

1.	Name of post	Executive Assistant (Corporate Communication/ International Cooperation)
2.	Number of post	2
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: Master's Degree/ Post Graduate Diploma (2-years duration) in International Business/ Business Administration/ Public Relations/ Media Management/ Mass Communications/ Journalism/ Mass Multimedia & Communications
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-4 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field

13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(114) Executive Assistant (Rajbhasha)

1.	Name of post	Executive Assistant (Rajbhasha)
2.	Number of post	1
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30 Years
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: Master's Degree in Hindi with English as a subject at degree level
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-4 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in terminology work in Hindi and translation work from English to Hindi and vice-versa
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(115) Executive Assistant (Library)

1.	Name of post	Executive Assistant (Library)
2.	Number of post	1
3.	Classification	B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-2: Rs.9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30 Years

8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Contract: Master's Degree in Library Science
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	No
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ deputation/ contract/ campus placement as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Deputation: Officers working in Central/ State Government/ Autonomous/ Statutory Bodies/ PSUs/ Recognized Universities/ Cooperative Organization/ Financial Institutions etc. holding analogous posts or with 5 years' service in posts carrying Level-4 of pay matrix as per 7th CPC or equivalent, having experience in the relevant field
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(116) Office Assistant (Finance)

1.	Name of post	Office Assistant (Finance)
2.	Number of post	38
3.	Classification	C
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-4 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-1: Rs.5200-20200/- with Grade Pay Rs.2400/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential for DR/Outsourcing : CA Intermediate/ ICWA Intermediate
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Not Applicable
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Direct recruitment/ contract/ outsourcing
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Not Applicable
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Yes (Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(117) Office Assistant (General Management)

1.	Name of post	Office Assistant (General Management)
2.	Number of post	16
3.	Classification	C
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-4 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-1: Rs.5200-20200/- with Grade Pay Rs.2400/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	30
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential for DR/Contract/Outsourcing:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Degree of a recognized university ii. Knowledge of computers
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Not Applicable
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	<ul style="list-style-type: none"> i. Promotion through Limited Departmental Examination ii. Direct recruitment/ contract/ outsourcing iii. On compassionate grounds as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion (LDE):</p> <p>Multi Tasking Staff fulfilling the following qualification and experience:</p> <p>Essential:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Degree of a recognized University ii. Knowledge of computers iii. Have put in at least 8 years continuous service as Multi Tasking Staff.
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	<p>Yes</p> <p>(Composition of DPC and DSC may vary as per the orders of the appointing authority)</p>
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(118) Staff Car Driver

1.	Name of post	Staff Car Driver
2.	Number of post	8
3.	Classification	C
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-2 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-1: Rs.5200-20200/- with Grade Pay Rs.1900/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not Applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	Not Applicable
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 10th Pass or equivalent ii. Knowledge and experience of Driving iii. Possession of a valid Driving Licence
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Not Applicable

10.	Period of probation, if any	Not Applicable
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Contract/Outsourcing
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Not Applicable
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Not Applicable
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not Applicable

(119) Multi Tasking Staff

1.	Name of post	Multi Tasking Staff (Electrician/ Plumber/ Scooter Rider/ Helper and other service staff)
2.	Number of post	85
3.	Classification	C
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-1 of the pay matrix as per 7 th CPC (Pre revised PB-1: Rs.5200-20200 with Grade Pay Rs.1800/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Not Applicable
7.	Maximum age limit for direct recruitment	Not Applicable
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Matriculate or ITI
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Not Applicable
10.	Period of probation, if any	2 years in the case of direct recruitment
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	i. Contract/Outsourcing ii. On compassionate grounds as per policy prescribed in General Note of Recruitment Rules
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Not Applicable
13.	If a DPC/DSC exists, what is the composition	Not Applicable
14.	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment	Not Applicable

General Note:

1. Depending upon the requirement of personnel for different functions, either any or all or a combination of the qualifications and experience may be adopted within the option given in the recruitment rules with the approval of the Managing Director.
2. The crucial date for determining age limit, educational qualification, experience etc. shall be the date as mentioned in the advertisement issued to fill up the vacant posts. The minimum age limit for recruitment to all posts shall be as per guidelines issued by GoI.
3. The age limit for recruitment on contract basis shall remain the same as prescribed under direct recruitment for respective posts. The age limit for recruitment on deputation basis shall be as per GoI norms.
4. The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department or the Central Government shall ordinarily

not exceed 5 years. Further extension for the period of 6th and 7th year will be at the discretion of BoM and the General Council respectively.

5. There shall be no provision for absorption of officer/official serving in NCDC on deputation basis.
6. Posts reserved for appointment by direct recruitment may be filled by other method of recruitment viz. deputation, contract etc. as per recruitment rules as well. Against the post reserved for promotion/LDE quota if none is available for promotion they may also be filled by other method of recruitment viz. deputation, contract etc. as per recruitment rules. For this purpose, the appointing authority shall be the competent authority.
7. The Managing Director, NCDC may resort to Campus Recruitment under Direct Recruitment mode to fill up vacancies for the posts of Deputy Director, Assistant Director, Programme Officer and Executive Assistant, as and when considered appropriate, to meet the manpower requirement of NCDC. The guidelines for campus recruitment will be as under:-
 - i The candidates appointed through campus recruitment will initially be appointed to the respective post on a probation period of 2 years and will draw the pay and allowances at the rates admissible in the Corporation. On successful completion of the probation period and subject to being found fit by the Appointing Authority, the probationer will be confirmed at the permanent position in the Corporation.
 - ii The campus recruitment for the posts of (i) Deputy Director shall be held from IIMs or other similarly placed premier institutions and top 5 government institutions as per NIRF Rankings, (ii) Assistant Director from TSU (erstwhile IRMA), MANAGE or similarly placed reputed institutions and top 10 government institutions as per NIRF Rankings, (iii) Programme Officer from institutions of repute amongst top 25 as per NIRF Rankings and (iv) Executive Assistant from reputable institutions amongst top 50 as per NIRF Rankings, as per requirement.
 - iii For the purpose of campus placement, in addition to the educational qualification prescribed in recruitment rules for the post, MBA/ Executive-MBA/ Post Graduate Diploma (2-years duration) with specialization in Finance or other such fields as are covered by Corporation's mandate will also be considered as eligible educational qualification for such post against which the campus placement is being considered.
 - iv Campus recruitment for any post cannot be conducted from an institution where a campus placement drive has already been held or shall be held by the Corporation for the junior posts (as per hierarchy) and vice-versa.
 - v There shall be a provision of premier institution allowance to be determined as per the discretion of the BoM for recruitments made from IIMs and such similarly placed institutions. The premier institution allowance will be proportionate to the basic pay of the recruit and it can be granted upto 3 times of the admissible basic pay. No dearness allowance (DA) will be granted on premier institution allowance.
8. The criteria of age limit will not be applicable on Departmental Candidates for all methods of recruitment.
9. The employees/officers having expertise in finance and banking sector who are hired on deputation basis in NCDC can opt to avail the remuneration as per pay scale prescribed for the respective post or continue to draw the pay, allowances, facilities and perquisites as admissible to them in their parent cadre with the approval of the appointing authority in NCDC, subject to submission of certificate by the cadre controlling authority indicating details of admissible pay, perks and perquisites in the parent/lending organization.
10. The Direct Recruitment process for all the posts, shall comprise the four phases; (i) initial shortlisting to be made by conducting Computer Based Test (CBT) in the event of number of applications being large, (ii) scrutiny of applications by the Screening Committee comprising HoD of P&A Division, HoD of concerned division under which the post has been advertised and a representative of Legal Division (iii) Preliminary Interview by the Committee duly recommended/constituted by the appointing authority comprising (mandatorily) at least one Retired Officer of NCDC (as domain expert/specialist), and (iv) Final Interview by the Selection Committee chaired by the Managing Director, NCDC. No interview will be held for recruitment to Group B/Group C posts as per DoPT norms.
11. Functional up-gradation shall be granted to the posts as specified in their respective recruitment rule after serving requisite qualifying period of service in the feeder cadre post, subject to being found fit by the DPC. The Functional upgradation will include all responsibilities and benefits of the promotional post including pay fixation. The Promotion, Functional up-gradation and Limited Departmental Examination (LDE) for Group A posts will comprise interview to be conducted by the Departmental Promotion Committee (DPC) to ascertain the suitability of officers for promotion/functional upgradation. The factors/parameters of the interview process and their respective weightage shall be determined by the Managing Director. For other posts (Group B/Group C), the DPC will assess the suitability of candidates on the basis of APAR, entire service record and by taking

360 degree appraisal and based on the presentation to be made by the candidate before DPC highlighting their achievements/ duties performed.

12. There shall be Non-Functional Financial Upgradations (NFFU) on completion of 10 years of service in the same pay level of the pay matrix as per 7th CPC to the pay scale at promotional post, subject to being found fit by Departmental Screening Committee on the basis of APARs, service record etc. The non-functional financial upgradation envisages merely placement in the promotional pay level associated with the posts as per hierarchy of NCDC stipulated in the recruitment rules. For grant of NFFU, minimum grading required will be 'very good' for all levels. The NFFU shall be purely personal to the employee with no relevance to his/her seniority position. The benefit of pay fixation admissible at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of NFFUs. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion to that scale.
13. The recruitment on compassionate grounds (to address the immediate hardship faced by the family members of an NCDC employee due to his/her sudden demise or medical incapacitation while in service) for the posts of Executive Assistant (General Management), Office Assistant (General Management) and Multi Tasking Staff will be considered as per the eligibility of the applicant. For Executive Assistant (General Management), Master's degree in any discipline or other educational qualification prescribed in different specialisation for Executive Assistant cadre will be essential and for the posts of Office Assistant (General Management) and MTS, educational qualification will be as per recruitment rules of the posts. Maximum age limit will not be applicable on compassionate appointments. The dependents for this purpose will be as per nomination furnished by the concerned employee/official during service. If nomination has not been furnished by the employee, in such cases the definition of family will be as per the Gratuity Rules. Compassionate appointment will be considered against the existing vacancies of the applied post as per Recruitment Rules. In those circumstances where no vacancy is available in the applied post, the recruitment shall be made against a supernumerary post of the respective cadre. The appointment made to such supernumerary post shall eventually be adjusted against the first available vacancy in the cadre for which the recruitment was originally intended. In all matters relating to compassionate appointments not covered by these guidelines, the corresponding norms of DoPT shall apply.
14. On account of the recruitment rules of the Corporation being revised to incorporate the changes as necessitated with changing times and requirements of the Corporation that have emerged due to increased activities of the Corporation after formation of Ministry of Cooperation, in the interest of the existing employees and to ensure fairness and consistency during the transition period while acknowledging the service and expectations of current employees governed by the existing framework, the provision of Limited Departmental Examination (LDE) to the posts of Chief Director and Deputy Director has been provided for the employees serving the Corporation before implementation of revised Recruitment Rules. The provision of LDE for aforementioned posts will not be admissible to any employee who joins the services of the Corporation after implementation of these Recruitment Rules.
15. The employees of the Corporation who possess the qualification of Master's Degree/Post Graduate Diploma (2-years duration) in Finance will be placed in Finance cadre for consideration of promotion/functional upgradation.
16. The departmental candidates after completion of minimum qualifying period of service prescribed for promotion/functional upgradation to the next higher post as per hierarchy will be eligible to apply for the said post through direct recruitment as and when it is notified.
17. Appointments made in NCDC on contract basis shall be as per Government of India guidelines. The appointment on contractual basis will not confer any right for regular appointment in NCDC or its associated organizations. The contractual personal shall not be entitled to compensation/ gratuity/ absorption/ regularization of service in NCDC. The term of appointment on contract cannot exceed the maximum period of 4 years. The initial appointment shall be for a term of 3 years, extendable at most by 1 year.
18. The equivalence of pay of persons working in Public Sector Enterprises/ Statutory/ Autonomous bodies/ PSUs etc. following pay scales other than CDA scale shall be established by taking into consideration their current basic pay and dearness allowance only. In case of persons working in the private sector, admissible CTC comparable with the pay scale prescribed for candidates working in Government/PSUs etc. shall be considered.
19. The earmarking of reserved posts and age relaxation for UR, SC, ST, OBC, EWS, PH, Ex-Servicemen etc. or other reservation matters shall be in accordance with the instructions or orders issued by the Government of India, mutatis mutandis.

20. The experience required in relevant field for the purpose of recruitment for all posts may be elaborated in detail with the approval of the Managing Director at the time of issuing of notification for respective posts as per requirement of the Corporation.
21. The DPC for promotion/LDE/Functional upgradation shall be held twice in a calendar year, in the month of January and July, for the employees who have completed the stipulated period of qualifying service as on 1st January/1st July.
22. The constitution of the Departmental Promotion Committee (DPC) and Departmental Selection Committee/ Departmental Screening Committee (DSC) shall be at the sole discretion of the Appointing Authority, in line with the Government of India guidelines issued to this effect.
23. The head/officer-in-charge of NCDC Regional Offices will be designated as Regional Director and the head/officer-in-charge of LINAC, Gurugram will be designated as Director General. This nomenclature shall be followed irrespective of the designation of the officer.
24. These are in supersession of the earlier Recruitment Rules and in case of any anomaly in future, DOPT guidelines may be referred to.
25. These provisions/amendments shall take effect from the date of notification in the Gazette.

PANKAJ KUMAR BANSAL, Managing Director

[ADVT.-III/4/Exty./578/2025-26]